खण्ड-458, अंक-3
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1928
(29 मार्च, 2006 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 458 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क-ङ |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 1-25 |
| विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी के निधन पर शोकोद्‌गार... | 25-26 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 26 |
| आज का उपवेशन 12 बजकर 30 मिनट तक चला कर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ... ... ... | 27 |
| उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 ... (पारित) ... ... | 27-50 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 50 |
| वाराणसी नगर में जल उपभोक्ताओं का बकाया जल-कर से अधिभार समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 50-51 |
| बहराइच के 'कैसरगंज क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि (वर्ष 2004-2005) में लम्बित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 51 |
| आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत मूल जनपदों में तैनात चिकित्साधिकारियों के गम्भीर घोटालों से सम्बन्धित होने के बावजूद उसी जिले में तैनात कर शासनादेश का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 51-52 |
| सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 52 |
| गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताजपुर दलित बस्ती में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 52-53 |
| प्रदेश में डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर स्टे वैकेट कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 53 |
| बांदा नगर में केन नदी रेलवे ओवर ब्रिज चुंगी चौकी से जरेली कोठी के पीछे झील का पुरवा होते हुए शुकुन कुआँ तक बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 53 |
| लखनऊ के मोहल्ला मोतीनगर में सड़क को पक्की बनवाने सीवर लाइन डालने एवं नालियों का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 54 |
| लखीमपुर में पैला क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 54-55 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| मुरादाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत एन0 एच0-24 चौधरपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 55 |
| चन्दगंज विद्युत उपकेन्द्र, गाजीपुर में प्रस्तावित ओ0 सी0 बी0 व जौहरगंज उपकेन्द्र में सी0टी0 लगाकर विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 55 |
| झांसी की तहसील मऊरानीपुर के नायब तहसीलदार एवं अमीन द्वारा अवैध धन लेकर ग्राम सभा की जमीनों पर खेती कराने आदि की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 56 |
| मेरठ नगर में 150 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि की समतुल्य धनराशि से पाइप लाइन परिवर्तन/नई पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 56 |
| राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ की विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 56-57 |
| गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में चल रहे तहसील कार्यालय में महिला अस्पताल स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 57 |
| सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्रान्तर्गत इमलियाघाट गोमती नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 57 |
| जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहदुरा एवं पिलुई घाघरा नदी के किनारे सोती पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 57-58 |
| जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिकोनिया तक जाने के लिए रपटा पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 58 |
| सदन द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 दिनांक 18 मार्च, 2005 को एवं मंगलायतर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित होने के उपरान्त उनका क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप अग्रवाल द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न का अगले सत्र तक स्थगन ... ... ... | 58 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 58-60 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 60-62 |
| उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ... (जारी) ... | 62 |
| प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ... (जारी) ... ... | 62 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| गाजियाबाद प्राधिकरण के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जनकपुरी नई दिल्ली को आवंटन एवं सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... | 62-64 |
| जनपद कानपुर देहात स्थित चौधरी चरण सिंह उमरहट पम्प नहर पर कटान रोकने हेतु पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश त्रिवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... ... | 64 |
| जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेनों की सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... ... | 64-65 |
| जनपद एटा स्थित मे0बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन... ... ... | 65 |
| श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम खन्दवा, जिला बलिया की अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की सहायता हेतु जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सहायता धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य... | 65 |
| जनपद जालौन में कालपी स्थित बीरबल का महल "रंगमहल" पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 66-67 |
| जनपद अलीगढ़ के महाविद्यालयों में बी0एड0 के दाखिले में लाखों रुपये की अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 67-68 |
| जनपद चित्रकूट की दो प्रमुख नहरों को हेड से आठ कि0 मी0 तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 68-69 |
| शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार नलकूपों द्वारा पीने का पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 69-70 |
| राज्य परिवहन निगम की बस से मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 70 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार की जिला कारागार में पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का केवल वक्तव्य | 70-71 |
| श्री प्रमोद कुमार द्वारा विधायक निधि बढ़ाये जाने तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा उनके क्षेत्र हेतु स्वीकृत डेढ़ सौ हैण्डपम्प के स्थान पर उसके समतुल्य धन से पुरानी पाइप लाइनों की मरम्मत कराने की मांग ... | 71-72 |
| डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से मिले राज्यांश से अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की मांग ... ... ... | 73 |
| सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 73-74 |
| राष्ट्रगान ... ... ... | 74 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुयी।)

## उपस्थित सदस्य-289

| | |
|---|---|
| अकीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजय कुमार, डा0 | बागपत |
| अजय राय, श्री | वाराणसी |
| अजीम भाई, श्री | फिरोजाबाद |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा |
| अनिल कुमार पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| अनिल कुमार वर्मा श्री | हरदोई |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| अर्नास अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अमर सिंह परमार, श्री | आगरा |
| अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री | हाथरस |
| अमीता सिंह, श्रीमती | सुल्तानपुर |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अलका राय, श्रीमती | गाजीपुर |
| अलगू प्रसाद चौहान, श्री | सन्त कबीर नगर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अशोक कुमार कटियार, श्री | कानपुर देहात |
| आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| आर0 एस0 कुशवाहा, श्री | खीरी |
| आलम बदी, श्री | आजमगढ |
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आशा किशोर, श्रीमती | रायबरेली |
| आशीष यादव, श्री | बदायूं |
| आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| उज्जवल रमण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| उदयराज यादव, श्री | उन्नाव |
| उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| उमा शंकर कुशवाहा, श्री | गाजीपुर |
| ओमकार सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर |
| ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कमलेश कुमार, श्री | गोरखपुर |
| कमलेश कुमार पाठक, श्री | कानपुर देहात |
| कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब | रामपुर |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |

अतारांकित प्रश्नोत्तर

| | |
|---|---|
| कालीचरन राजभर, श्री | गाजीपुर |
| काशीराम, श्री | रामपुर |
| किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| किरन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कौकब हमीद खां, श्री | बागपत |
| कौशल किशोर, श्री | खीरी |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गंगा बक्श सिंह, डा0 | उन्नाव |
| गंगा भक्त सिंह, श्री | हरदोई |
| गया चरन दिनकर, श्री | बांदा |
| गीता सिंह, श्रीमती | बलरामपुर |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्रदेव राम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्रभद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री | श्रावस्ती |
| छेदीराम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| जंग बहादुर, श्री | सुल्तानपुर |
| जगदम्बिका पाल, श्री | बस्ती |
| जगदीश नारायण (राय), श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर,श्री | जौनपुर |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| जयराम विमल, श्री | अम्बेडकर नगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दया शंकर वर्मा, श्री | जालौन |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ भाष्कर, श्री | सन्त रविदास नगर, भदोही |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर |
| धू राम लोधी, चौधरी | हमीरपुर |
| नन्दिता शुक्ला, श्रीमती | गोण्डा |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 | इलाहाबाद |
| नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| नरेन्द्र शिशौदिया, श्री | गाजियाबाद |
| नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| नवाब सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| नारद राय, श्री | बलिया |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पीटर फैन्थम, श्री | नाम-निर्देशित |
| पीतम राम, श्री | पीलीभीत |
| पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| प्रताप चौधरी, श्री | हाथरस |
| प्रभु नारायण, श्री | चन्दौली |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रागी लाल अहिरवार, श्री | झांसी |

| | |
|---|---|
| प्रेम पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| प्रेमलता देवी, श्रीमती | अलीगढ़ |
| प्रेम सिंह, श्री | मथुरा |
| फागू, श्री | मऊ |
| बंशीधर राज, श्री | खीरी |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बाबूराम, एम0 काम0, श्री | जालौन |
| बाबू लाल, श्री | गोण्डा |
| बाबू लाल चौधरी, श्री | आगरा |
| बाबूलाल कुशवाहा, श्री | बांदा |
| बीजू पटनायक, श्री | गाजीपुर |
| बीना भारद्वाज, श्रीमती | रामपुर |
| बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री | झांसी |
| बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट | जालौन |
| बैजनाथ पासवान, श्री | मऊ |
| ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भरत सिंह, श्री | बलिया |
| भूपेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| मतेश चन्द्र सोनकर, श्री | कौशाम्बी |
| मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री | इटावा |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मलिक मसूद, श्री | आजमगढ़ |
| मशहूद खां, श्री | बलरामपुर |
| मस्तराम चौ0, एडवोकेट | उन्नाव |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा | आगरा |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश त्रिवेदी, श्री | कानपुर देहात |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| मानपाल सिंह, श्री | एटा |
| माया प्रसाद, श्रीमती | खीरी |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| मुकुल बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| मुंशीलाल गौतम, श्री | बुलन्दशहर |
| मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर | बिजनौर |
| मोख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| मोहम्मद रिजवान, श्री | मुरादाबाद |
| मो0 शफीर, श्री | फतेहपुर |
| यशपाल चौधरी, श्री | खीरी |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| योगेन्द्र कुमार, श्री | बदायूं |
| योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री | गोण्डा |
| रंगनाथ मिश्र, श्री | संत रविदास नगर, भदोही |
| रणवीर राणा, श्री | मेरठ |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | कुशीनगर |
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राज किशोर सिंह, श्री | बस्ती |
| राजनाथ यादव, श्री | वाराणसी |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह बालियान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजपाल सिंह सैनी, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बारावंकी |
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजवीर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| राजा राम, श्री | प्रतापगढ़ |

| | |
|---|---|
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राबिया कलाम, श्रीमती | वाराणसी |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राम इकबाल सिंह, श्री | बलिया |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम किशुन, श्री | चन्दौली |
| राम कृपाल, श्री | इलाहाबाद |
| राम चन्द्र यादव, श्री | फैजाबाद |
| राम नरेश यादव, श्री | आजमगढ़ |
| रामनाथ, श्री | प्रतापगढ़ |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा |
| रामबाबू हरित, डा0 | आगरा |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम भुआल निषाद, श्री | गोरखपुर |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रिजवान अहमद खां, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 | मेरठ |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लुईस खुर्शीद, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता,श्री | लखनऊ |
| विनय शाक्य, श्री | औरैया |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद कुमार सिंह, श्री | जौनपुर |
| विनोद तिवारी, डा0 | पीलीभीत |
| विवेक बंसल, श्री | अलीगढ़ |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना",श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | वाराणसी |
| शब्बीर, श्री | बहराइच |
| शरदवीर सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदा नन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव चरन प्रजापति, श्री | हमीरपुर |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |
| शिव पाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| शिव प्रताप यादव, डा0 | बलरामपुर |
| शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर | प्रतापगढ़ |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम नारायन, श्री | महराजगंज |
| श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| श्रद्धा यादव, श्रीमती | जौनपुर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्रीराम भारती, श्री | मिर्जापुर | सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर | सुरेश कुमार खन्ना,श्री | शाहजहांपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर | सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद | सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर | सुशील चौधरी, डा0 | सहारनपुर |
| सत्तो देवी, श्रीमती | सहारनपुर | सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर | सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| सन्ध्या कटेरिया, कु0 | मैनपुरी | सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| समरपाल सिंह, श्री | बागपत | स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर | हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा | हरि शंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| सुखदेवी वर्मा, श्रीमती | इटावा | हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री | वाराणसी |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव | हीरा लाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली | | |

नोट :- श्री ख्वाजा हलीम (औद्योगिक विकास मंत्री) तथा श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

### तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने हेतु कानून बनाने की योजना

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सरकार के समक्ष कोई कानून बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, 01 जनवरी, 1996 से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर इस प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में लागू है। अतः प्रदेश के लिए अलग से इस आशय का कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आज के जो प्रश्न है, वह सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

### मा0 मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर यात्रा के दौरान इन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम हेतु टीकाकरण की घोषणा

*2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने दिनांक 28-9-2005 को अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान इन्सेफ्लाइटिस के रोक-थाम हेतु टीकाकरण कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो गोरखपुर तथा बस्ती मण्डल में कुल कितने नागरिकों (बच्चों सहित) के टीकाकरण की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

टीकाकरण के सम्बन्ध में घोषणा तो नहीं की गयी किन्तु प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा चीन में निर्मित सिंगल डोज वैक्सीन आयात की जा रही है, जिससे गोरखपुर मण्डल के 48 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

**नोट** :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

**जनपदों के चिकित्सालयों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग**

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित "यू0 पी0 एच0एस0डी0पी0" कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अस्पतालों में लोगों को विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु कोई कार्य किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

परियोजना से आच्छादित जनपदों के चिकित्सालयों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष उच्च स्तर की लगभग 200 प्रकार की औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदत्त मानकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरण यथा एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउन्ड मशीन, ई0सी0जी0 मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, बैंड स्लाइन स्टैण्ड उपलब्ध कराये गये हैं तथा जनपदों के दूरस्थ, दुर्गम एवं असेवित क्षेत्रों में सीमित उपचारात्मक एवं रोग नियंत्रक सेवाएं मुख्यतः गरीब एवं महिलाओं को 119 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**खसरा/चेचक की रोकथाम हेतु सरकार की कार्य योजना**

*4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा/चेचक की रोकथाम के लिये क्या सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

खसरा की रोकथाम नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। चेचक (स्मालपॉक्स) का उन्मूलन हो चुका है।

परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा बच्चों में खसरा रोग की रोकथाम हेतु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की कुपोषण के कारण हुई मृत्यु दर को रोकने की योजना**

*5-डा0 सुशील चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

## प्रदेश में एड्स से हुई मौतों की जानकारी

*6-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 1998 से 30 दिसम्बर, 2003 के मध्य एड्स से कितनी मौतें हुई हैं ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1998 से 30 दिसम्बर, 2003 के मध्य एड्स से 60 मौतें हुई हैं।

राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना एवं संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उ0 प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत लक्षित इण्टरवेन्शन परियोजना एस0 टी0 डी0 नियंत्रण कार्यक्रम एवं कन्डोम प्रोत्साहन, रक्त सुरक्षा, सर्वेलेन्स, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने तथा एच0 आई0वी0/एड्स के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी सतत प्रयत्नशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## अनुसूचित जाति/जनजाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु स्वीकृत अनुदान की धनराशि को बढ़ाने की मांग

*7-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री ओ0 पी0 सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति/जनजाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु स्वीकृत अनुदान की धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में कम धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी नहीं। प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर वर्ष 2004-05 के सापेक्ष वर्ष 2005-06 में कम धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

इस योजना में अनुसूचित जाति हेतु वर्ष 2006-07 में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो वर्ष 2005-2006 के सापेक्ष 1414,10 लाख रुपया अधिक है। जनजाति हेतु बजट प्राविधान रु0 15,00 लाख यथावत रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में अनु0 जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी

*8-श्री भगेलू राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनु0 जाति/जनजाति के पूर्व दशम के छात्रों की वर्ष 2004-05 की छात्रवृत्ति का वितरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो

किन-किन जनपदों में उक्त धनराशि वितरित की जानी शेष है ? उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्ष 2004-05 में पूर्व दशम अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना में क्रमशः रु0 33497.21 लाख तथा रु0 156.75 लाख रुपये की धनराशि कोषागार से आहरित कराकर संस्थाओं को वितरित कर दी गयी है। संस्थाओं द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु सत्यापन के आदेश दे दिये गये हैं।

यथा निर्दिष्ट जांच के उपरान्त ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

छात्रों को छात्रवृत्ति अविलम्ब वितरित करने के लिए विभागीय आदेश प्रभावी है।

उपर्युक्तानुसार।

**राजकीय मेडिकल कालेजों में आचार्यों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने व सेवारत पात्र शिक्षकों की प्रोन्नति आचार्य पद पर करने की मांग**

*9-डा0 पी0 के0 राय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेजों में आचार्यों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? क्या उक्त प्रक्रिया एम0 सी0 आई0 मानकों को पूर्ण करती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सेवारत पात्र शिक्षकों की प्रोन्नति आचार्य पद पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने की मांग**

*10-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वित्तीय संसाधन को देखते हुए वर्ष 2005-2006 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाये जाने का निर्णय नहीं लिया जा सका है। वित्तीय संसाधन में धनराशि उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

तदैव।

# अतारांकित प्रश्न

## एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में लैब अटेण्डेन्ट संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराकर टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

1-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र सं0-4043/71-3-2002-पी0- 3/2001, दिनांक 30-7-2003 के द्वारा निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ को लैब अटेण्डेन्ट संवर्ग के उन 16 कर्मचारियों जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट साइंस है, को स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अधीन संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित कराकर टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रशिक्षण प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण पर निर्णय/अनुमोदन हेतु एजेण्डा इंस्टीट्यूट बाडी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

इंस्टीट्यूट बाडी के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की फीस व छात्रवृत्ति के भुगतान की जानकारी

2-श्री राम शंकर पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की बी0 टेक के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों की सत्र 2005-2006 की फीस समाज कल्याण विभाग द्वारा दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त वर्ग के विद्यार्थियों की सत्र 2004-05 एवं 2005-2006 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्ष 2005-06 में संदर्भित संस्था के द्वितीय वर्ष के 63, तृतीय वर्ष के 39 एवं चतुर्थ वर्ष के 23 कुल 125 अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति की धनराशि भुगतान हेतु रु0 28.545 लाख संस्था को दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत संस्था के उल्लिखित कोर्स हेतु वांछित वर्ष 2004-05 की छात्रवृत्ति की 36828 लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार से अपेक्षित मद में आवश्यकतानुसार पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण धन की कमी से भुगतान नहीं की जा सकी है। वर्ष 2005-06 की छात्रवृत्ति की देय रु0 4.125 लाख की धनराशि छात्रों को भुगतान हेतु संस्था को उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

**छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में एम0 बी0 ए0 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से जमा करायी गयी फीस की क्षतिपूर्ति**

3-श्री राम शंकर पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में एम0 बी0 ए0 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से सत्र 2005-2006 की फीस रु0 24000/- प्रवेश के समय जमा करा ली गयी है ? क्या उनसे उपरोक्त जमा करायी गर्या फीस की क्षतिपूर्ति की जायेगी एवं उक्त शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर में वर्ष 2005-06 में एम0 बी0 ए0 के 23 अनुसूचित जाति छात्रों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें चार छात्रों ने शुल्क जमा किया है। शेष छात्रों से शुल्क नहीं लिया गया है।

शुल्क जमा करने वाले चार अनुसूचति जाति के छात्रों को संस्था द्वारा 19,000 रुपये प्रति छात्र की दर से शुल्क वापस कर दिया गया है। उक्त सभी 23 छात्रों को शिक्षा सत्र 2005-06 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रवक्ताओं की भांति समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने की मांग**

4-श्री सलिल विश्नोई-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रवक्ताओं की भांति समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चिकित्साधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा")-

जी नहीं।

समता समिति उ0 प्र0 (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत आवासीय चिकित्साधिकारियों को दिनांक 1-1-94 से रु0 2350-4400 का वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

अनुमन्य वैयक्तिक वेतनमान् का लाभ सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चों के सामान्य पोषण हेतु कार्य योजना**

5-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है कि प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे हैं तथा इनमें कुपोषण के शिकार

कितने प्रतिशत बच्चे हैं ? कुपोषण के शिकार बच्चों का सामान्य पोषण हो सके इसके लिये क्या सरकार की कोई योजना है ? नहीं है, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**वित्त विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को नया वेतनमान दिये जाने की मांग**

6-श्री अवधेश कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 1996 से नया वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्रीमती राज किशोरी देवी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान**

7-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1209/पांच-6-2004-294/96 टी0सी0, दिनांक 09-08-2004 में यह प्राविधानित है कि एक लाख से 2 लाख रुपये तक के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की संस्तुति पर कर दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या समाज कल्याण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3197/26-1-04-80(69)/04, दिनांक 15-10-2004 के द्वारा प्रेषित श्रीमती राज किशोरी देवी की एंजियोप्लास्टी/हृदय रोग के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति अपर निदेशक, चिकित्सा, लखनऊ मण्डल ने अपने पत्र संख्या-ए0डी0/चि0 व्यय-प्रतिपूर्ति/2571-1, दिनांक 05-11-2004 द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री अजय कुमार ओझा, समीक्षा अधिकारी की माता श्रीमती राज किशोरी देवी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्राप्त दावे का निस्तारण अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सह क्षेत्रीय परियोजना प्रबन्धक मध्य क्षेत्र (मुख्यालय) लखनऊ के पत्र संख्या-2571, दिनांक 05-11-04 के द्वारा कर दिया गया है।

प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रशासकीय विभाग (समाज कल्याण विभाग) द्वारा आश्रित होने के आधार को, अनुपयुक्त पाये जाने के कारण भुगतान हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-जौनपुर के सुजानगंज बाजार में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अवशेष किराये के भुगतान की मांग**

8-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सुजानगंज बाजार में चार शैय्या का आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवन में संचालित किया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रतिमाह कितना किराया निर्धारित है ? क्या दिसम्बर, 2005 तक का किराया भवन स्वामी को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवशेष किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'-

जी हां।

मासिक किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करायी जा रही हैं।

जी नहीं।

मासिक किराये के निर्धारण हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण भवन किराये का भुगतान नहीं किया गया है।

मासिक किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त तथा किराये के मद में आवश्यक धनराशि की बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर अवशेष किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।

**जनपद-सुल्तानपुर में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन स्वामी को किराये का भुगतान**

9-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिमाह कितना किराया निर्धारित किया गया है ? क्या दिसम्बर, 2005 तक के किराये का भुगतान भवन स्वामी को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवशेष किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'-

जी हां।

उक्त चिकित्सालय पूर्व में दिनांक 11-8-97 से 31-10-2005 तक जिस किराये के भवन में संचालित हो रहा था उसका प्रतिमाह किराया रु0 2990 निर्धारित किया गया था। दिनांक 1-11-2005 से उक्त चिकित्सालय नवीन किराये के भवन में संचालित हो रहा है, जिसका किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में भवन स्वामी से आवश्यक सहमति/औपचारिकतायें पूर्ण करायी जा रही हैं।

जी नहीं। पूर्व के भवन स्वामी का जनवरी, 2004 से जनवरी, 2005 तक तथा 7/2005 से 10/2005 तक के किराये का भुगतान अवशेष है।

किराये के मद में बजट में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

किराये के मद में बजट व्यवस्था उपलब्ध होते ही अवशेष किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।

**प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध कराने की मांग**

10-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो वहां चिकित्सक कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उपलब्धता के आधार पर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात हैं।

मानक के आधार पर तैनाती किये जाने हेतु प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में श्रेणी-ख चिकित्साधिकारियों के कुल 2126 रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के निर्देश भी दे दिये गये है।

**प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु योजना**

11-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत एक वर्ष में मस्तिष्क ज्वर से कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है ? मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या मृतक आश्रितों को सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2005 (दिनांक 31-12-2005 तक) मस्तिष्क ज्वर से प्रदेश में कुल 1387 रोगियों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर (जे0 ई0) नियंत्रण कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर नियंत्रण, रोगियों की उपचार व्यवस्था, रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण तथा कीटनाशकों का छिड़काव एवं फागिंग सम्मिलित है।

जी हां। मस्तिष्क ज्वर (जापानी इन्सेफलाइटिस) रोग से हुए मृतकों के परिवारों को शासनादेश संख्या-3041/पांच-8-2005-22 जे0ई0/2005, दिनांक 30 सितम्बर, 2005 द्वारा 25,000 प्रति मृतक की दर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों व एक्सरे मशीन आदि की व्यवस्था की मांग**

12-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुसार चिकित्सक व कर्मचारी तैनात हैं ?

यदि नहीं, तो उन्हें कब तक तैनात कर दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन, पैथोलाजी, आपरेशन थियेटर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मान्धाता व सुखपालनगर पर आपरेशन थियेटर एवं पैथालोजी स्वीकृत/कार्यरत है तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिपाहमहेरी, पृथ्वीगंज, विश्वनाथगंज, क्षितपालगढ़, कटरागुलाब सिंह पर आपरेशन थियेटर व पैथालाजी स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कुष्ठ रोग के रोकथाम की योजना**

13-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने कुष्ठ रोगी चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में संचालित कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 14.13 लाख कुष्ठ रोगियों को खोजकर लगभग 13.91 लाख को रोग मुक्त किया गया है।

जी हां, प्रदेश में कुष्ठ रोग के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 से तथा कुष्ठ रोग के निवारण हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 अर्थात पहले से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में सी0 टी0 स्कैन मशीन लगाने की योजना**

14-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में सी0 टी0 स्कैन मशीन लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद के समीपवर्ती जिला इलाहाबाद में सी0टी0स्कैन मशीन स्थापित है।

## अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित की गयी जातियां

15-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवास कर रही गौड़िया गौड़, धुरिया, नायक जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ में सामान्य रूप से चयनित अभ्यर्थी को आरक्षण में घोषित किये जाने का प्रकरण

16-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ में अनुसूचित जाति के डा0 के0 एन0 प्रसाद, डा0 एस0 पी0 अम्बेश, डा0 ए0 के0 वर्मा जो योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में चयनित हुए थे, को जाति के आधार पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों में घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## चिकित्सकों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति का उल्लंघन करके वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

17-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन संख्या 22/2003-2004 के संदर्भ में चिकित्सकों की नियुक्तियों में प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन करके अन्य प्रदेशों के मूल निवासियों को आरक्षण लाभ देने के लिये दोषी अधिकारियों को चिन्हित करने हेतु निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से दिनांक 02-03-2005 को शासन द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था ? क्या उक्त स्पष्टीकरण शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इसमें कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आरक्षण की रोस्टर प्रणाली प्रोन्नति स्कीम में भी लागू होने सम्बन्धी जानकारी**

18-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-4-1-2001/का-2-2002, दिनांक 25-6-2002 द्वारा प्रोन्नति हेतु जारी आरक्षण की रोस्टर प्रणाली अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0एस0) एवं असेस्मेन्ट प्रोन्नति स्कीम (ए0पी0एस0) में भी लागू है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या 4-1-2001/का-2-2002, दिनांक 25-6-2002 पदोन्नति के सम्बन्ध में है जबकि संस्थान की शासी निकाय दिनांक 27-11-2001 द्वारा स्वीकृत अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0एस0) पदोन्नति नहीं बल्कि संस्थान के कर्मचारियों को एक निश्चित सेवा के उपरान्त उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए0सी0आर0) के आधार पर केवल वेतनमान प्रदान किये जाने से सम्बन्धित है।

**परिवार कल्याण के जिला प्रशासनिक अधिकारियों से वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण**

19-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात जिला प्रशासनिक अधिकारियों से आर0सी0एच0, पल्स पोलियो, सिप्सा योजना के कार्यों के सफल संचालन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य लिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों से कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों को जिला प्रशासनिक अधिकारियों से कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जिला मिर्जापुर के ग्राम करौदा में समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को पुनः शुरू कराने की मांग**

20-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के ब्लाक राजगढ़ के ग्राम करौदा की श्रीमती महुली पत्नी सुन्दरराम एवं श्रीमती धनुली पत्नी सुखदेव को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को बंद करा दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नगत महिलाओं को मृत दिखाकर समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली पेंशन धनराशि को बन्द किया गया है जबकि वे वास्तव में जीवित हैं ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच कराकर प्रश्नगत महिलाओं की पेंशन पुनः शुरू करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-शाहजहांपुर के सेवानिवृत्त श्री काशीनाथ गुप्ता, स्वास्थ्य सहायक, के पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि धनराशि के भुगतान की मांग**

21-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री काशीनाथ गुप्ता, स्वास्थ्य सहायक, सामु0 स्वा0 केन्द्र, तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर दि0 31-7-05 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी, पेंशन, राशिकरण देय राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देय धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अहमद हसन-

श्री काशीनाथ गुप्ता दिनांक 31-7-2005 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री गुप्ता को 90 प्रतिशत ग्रेच्युटी तथा प्राविजनल पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। इनके जी0पी0एफ0 व राशिकरण के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

**आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान**

22-श्री सुल्तान बेग-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड माल में अनुसूचित जाति की कितनी ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं जिनकी सेवायें 15 साल से अधिक की हैं और शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट पास हैं ? इनकी प्रोन्नति अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि जनपद में सामान्य वर्ग की कार्यकत्रियों को जो वरिष्ठता क्रम से नीचे हैं, मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड माल में अनुसूचित जाति की इण्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाली 04 कार्यकत्रियां हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

| नाम | जन्म तिथि/योगदान तिथि | शैक्षिक योग्यता | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| 1-मालती देवी | 15-7-66/20-1-83 | इण्टर | 23 |
| 2-माया देवी | 15-5-66/18-1-83 | इण्टर | 23 |
| 3-सुन्दरा देवी | 07-8-61/21-1-83 | इण्टर | 23 |
| 4-सुनीता | 19-6-65/27-12-86 | स्नातक | 20 |

आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, बल्कि उ0 प्र0 बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसी कार्यकत्रियों में से जिन्होंने कार्यकत्री के रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न कर ली हो, नियम-15 ख के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर चयन की कार्यवाही दिनांक 01-07-2003 को कट आफ डेट मानकर पूर्ण की गयी, जिसमें अनुसूचित जाति की कुल 23 अंक प्राप्त करने वाली ऐसी कार्यकत्रियों जिनकी जन्म तिथि 04-06-61 तक थी, का चयन मुख्य सेविका पद पर किया गया।

उपर्युलिखित कार्यकत्रियों में से क्रम सं0 1, 2 व 3 की जन्म तिथि 4-6-61 के पश्चात् होने तथा क्रम सं-4 के कुल अंक कम होने के कारण मुख्य सेविका पद पर चयन नहीं किया गया।

जी नहीं।

सीधी भर्ती द्वारा चयन का आधार वरिष्ठता क्रम नहीं अपितु श्रेष्ठता है, अतः वरिष्ठता क्रम से चयन का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-आगरा के महिला चिकित्सालय के उपचारिकाओं को अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरण करने की मांग**

23-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के महिला चिकित्सालय (लेडी लायल) में कौन-कौन उपचारिकायें ऐसी हैं जो लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसी उपचारिकाओं को अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-आगरा के महिला चिकित्सालय (लेडी लायल) में 18 निम्नलिखित उपचारिकायें हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं-

1-श्रीमती सूरजमुखी
2-श्रीमती किस्टावली
3-श्रीमती मोना डी0 मसीह
4-श्रीमती शीला थामस
5-श्रीमती प्रभावती दुबे
6-श्रीमती विनीता लारिस
7-श्रीमती ओमवती शर्मा
8-श्रीमती जरीना एम0 लाल
9-श्रीमती अमला मैसी
10-श्रीमती शीरीन राबर्टसन
11-श्रीमती एस0 एस0 लाल
12-श्रीमती वसुधा डोडिया
13-श्रीमती प्रोमिला साहनी
14-श्रीमती क्रिस्टवेल इमैनवेल
15-श्रीमती उपासन सिंह
16-श्रीमती कमलेश कुमारी
17-श्रीमती उर्मिला कुशवाहा
18-श्रीमती अनीता पैटरसन

जी हां, कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**अरबन मलेरिया-फाइलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली सम्बन्धी प्रकरण**

24-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबन मलेरिया-फाइलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली संशोधन सम्बन्धी मामला वर्ष 1993 से शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश मलेरिया (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 तथा उत्तर प्रदेश फाइलेरिया (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 में प्रथम संशोधन की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्नं नहीं उठता।

**जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय के वाहनों पर पेट्रोल व उनके रख-रखाव पर व्यय धनराशि**

25-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय में कुल कितने वाहन हैं ? माह अप्रैल, 2005 से फरवरी, 2006 तक उक्त चिकित्सालय के वाहनों पर पेट्रोल एवं उनके रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय में कुल 03 (तीन) वाहन उपलब्ध हैं।

माह अप्रैल, 2005 से फरवरी, 2006 तक उक्त चिकित्सालय के वाहनों पर पेट्रोल एवं रख-रखाव पर रु0 35,414 खर्च किया गया है।

**जनपद आगरा के जिला महिला चिकित्सालय में स्थापित अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर खर्च की गयी धनराशि**

26-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के जिला महिला चिकित्सालय में स्थापित अल्ट्रासाउण्ड मशीन वर्तमान में कार्य कर रही है ? यदि हां, तो अप्रैल, 2005 से फरवरी, 2006 तक उसके रख-रखाव पर कितना धन खर्च किया गया और उससे कितने मरीज लाभान्वित हुए ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अल्ट्रासाउण्ड मशीन के रख-रखाव पर कोई धन खर्च नहीं हुआ तथा उससे 138 मरीज लाभान्वित हुए।

**हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी**

27-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2005-06 में हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त छात्रवृत्ति का वितरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

हाई स्कूल की छात्रवृत्ति राज्य सरकार से वित्त पोषित है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। भारत सरकार से वर्ष 2005-06 में मात्र 7587.00 लाख रु0 की धनराशि प्राप्त हुयी है। शेष 8407.029 लाख रु0 धनराशि की मांग भारत सरकार से निरन्तर की जा रही है, परन्तु अभी तक धनराशि अप्राप्त है।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति मद में पूरी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। संस्थाओं में छात्रों को वास्तविक वितरण के सम्बन्ध में सत्यापन के निर्देश दे दिये गये हैं।

भारत सरकार से धनराशि की प्राप्ति तथा संस्थाओं में वितरण के सत्यापन पर आधारित है। छात्रों को अविलम्ब छात्रवृत्ति वितरण के विभागीय आदेश/निर्देश प्रभावी है।

उपर्युक्तानुसार।

**डा0 अम्बेडकर कन्या प्रा0 पा0 लक्ष्मीनगर, मथुरा के गैर अनुमोदित शिक्षकों के वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

28-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 अम्बेडकर कन्या प्रा0 पा0 लक्ष्मीनगर, मथुरा में कार्यरत शिक्षकों का अनुमोदन समाज कल्याण विभाग से प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो गैर अनुमोदित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

विभागीय अनुदानित डा0 अम्बेडकर कन्या प्रा0पा0 लक्ष्मीनगर, मथुरा में कार्यरत शिक्षकों के अनुमोदन की स्थिति के सम्बन्ध में जांच हेतु मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा को आदेश दे दिये गये हैं।

जांच के निष्कर्ष पर आधारित है।

उक्तानुसार।

**समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन भुगतान में दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

29-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन का भुगतान समाज कल्याण अधिकारी एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की नियमों में व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो डा0 अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला, लक्ष्मीनगर मथुरा के शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा द्वारा किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों में उनके शिक्षकों के वेतन अनुदान के भुगतान की व्यवस्था/प्रक्रिया समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1619/26-3-91-4(67)/91, दिनांक-24-4-91 द्वारा निर्धारित थी। वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 में वेतन हेतु अनुदान मानक मद संख्या-43 में प्राविधानिक किये जाने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1216/दस-2002-04/2002दिनांक-31-3-2002 द्वारा निर्धारित व्यवस्था को प्रदेश के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को समाज कल्याण निदेशालय के परिपत्र संख्या-सी0-1485/स0क0/लेखा/बजट/2004-05 दिनांक-24-7-04 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अध्यापकों के वेतन भत्तों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कोषागार चेक के माध्यम से आहरित कर भुगतान किया जा रहा है।

जांच के अदेश दे दिये गये है।

जांच रिपोर्ट पर आधारित।

उपर्युक्तानुसार

**स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण**

30-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 के सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को 31 जनवरी, 2006 तक छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि वितरित की जा चुकी है तथा कितनी धनराशि शेष है ? शेष धनराशि कब तक वितरित करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति भी सम्मिलित है, शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में रु0 15019.54 लाख तथा अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में रु0 30.68 लाख की धनराशि छत्रवृत्ति वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध करायी गयी थी जिसके सापेक्ष 31 जनवरी, 2006 तक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में रु0 13224.17 लाख तथा अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में रु0 14.22 लाख की छात्रवृत्ति छात्रों में वितरित कर दी गयी है एवं अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में रु0 1795.37 लाख तथा अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में 16.46 लाख रुपये की धनराशि वितरण हेतु अवशेष थी।

अवशेष अवितरित धनराशि को अविलम्ब वितरित करने के आदेश दिये जा चुके है।

उपर्युक्तानुसार।

**प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों के समान निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को सुविधा उपलब्ध कराने की मांग**

31-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं ? इन विद्यालयों में कितने विद्यालय सरकारी है तथा कितने प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाये

जा रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों के समान निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को भी सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वर्तमान में 41 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिनमें 38 आश्रम पद्धति विद्यालय सरकारी हैं तथा 03 स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा संचालित प्रकृति के हैं, जो शत-प्रतिशत आवर्ती अनुदान पर संचालित हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्रकृति के आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को सरकारी आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों की भांति ही सुविधायें अनुमन्य हैं, परन्तु उनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधायें अनुमन्य नहीं हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित संस्थाओं के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं हैं।

**डी0सी0एच0, डी0जी0ओ0 तथा डिप कार्ड के धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद (एम0सी0आई0) द्वारा प्राप्त मान्यता तथा चिकित्सकों की तैनाती**

32-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के उपरान्त पी0 एम0 एच0 एस0 में स्पेशलिटी संवर्ग की संरचना की गयी है ? यदि हां, तो क्या स्पेशलिटी कैडर का निर्धारण एम0 सी0 आई0 (मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया) के मानकों के अनुसार की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि डी0 सी0 एच0, डी0 जी0 ओ0 एवं डिप कार्ड (डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी) में से किन-किन डिप्लोमा धारकों को एम0 सी0 आई0 ने मान्यता दी है ? क्या एम0 सी0 आई0 के मानकों के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती विशिष्ट इकाई में की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

डी0सी0एच0, डी0जी0ओ0 तथा डिप कार्ड भारतीय चिकित्सा परिषद (एम0सी0आई0) से मान्यता प्राप्त है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद खीरी के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र खजुरिया के जर्जर भवन के मरम्मत की मांग**

33-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी के ब्लाक पलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुरिया का पुराना जर्जर भवन टूट जाने की वजह से पेड़ों के नीचे चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुरिया वर्तमान में पलिया ब्लाक के पंचायत भवन में चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद खीरी के पलिया एवं निघासन महिला चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति**

34-श्री आर0 एस0 कुशवाहा

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी के पलिया एवं निघासन महिला चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति पिछले कई वर्षों से न होने के कारण गर्भवती व बीमार महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। कैडर रिव्यू के अन्तर्गत लेबल-2 के रिक्त पदों की तैनाती की कार्यवाही विचाराधीन है। लेबल-1 के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती में आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने की मांग**

35-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना के लिये क्या मानक तय किये गये हैं ? जनपद बस्ती के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या सरकार बस्ती जनपद में आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हेतु स्थान के चयन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं तथापि सामान्य रूप से विद्यालय के लिये निःशुल्क 5 एकड़ भूमि की उपलब्धता सड़क यातायात, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा, डाक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धता, पिछड़ेपन आदि जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

बस्ती मण्डल मुख्यालय पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक) की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रु0 407.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये संचालित छात्रावासों के रख-रखाव में व्यय**

36-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ? वर्ष 2004-2005 में कितनी धनराशि छात्रावासों के रख-रखाव में व्यय की गयी है तथा वर्ष 2005-2006 में कितनी धनराशि उक्त छात्रावासों के रखरखाव हेतु व्यय करने का लक्ष्य है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये 170 छात्रावास संचालित हैं।

इन छात्रावासों के रख-रखाव में वर्ष 2004-05 में रु0 333.46 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष 2005-06 में उक्त छात्रावासों के रख-रखाव के लिये रु0 492.12 लाख व्यय करने का लक्ष्य है।

**जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम में निर्माण कार्य की मांग**

37-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण इकाई द्वारा मृदा परीक्षण एवं ले आउट प्लान तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को राशन दिलाये जाने की मांग**

38-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका शिकारपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है तथा नगर के कितने कार्ड धारक उपभोक्ताओं को उक्त दुकानों से राशन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया")-

नगर पालिका शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 946 है जिसमें से 585 लाभार्थियों को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है और 361 लाभार्थियों को अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त 561 बी0पी0एल0 योजना के लाभार्थियों को नगर शिकारपुर की 18 उचित

दर की दुकानों के माध्यम से 15 किलोग्राम गेहूं तथा 20 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न बी0पी0एल0 दर रु0 4.65 प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 6.15 प्रति किलोग्राम चावल पर तथा 361 अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को 18 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों के माध्यम से 15 किलोग्राम गेहूं तथा 20 किलोग्राम चावल अन्त्योदय अन्न योजना की दर रु0 2.00 प्रति किलोग्राम गेहूं और 3.00 प्रति किलोग्राम चावल पर नियमित रूप से प्रतिमाह निर्धारित मूल्य व मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति की जानकारी**

39-श्री लालजी वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की नीति में कोई परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान नीति के अनुरूप अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु जनपद अम्बेडकर नगर से वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में कितनी धनराशि की मांग की गयी थी ? क्या उक्त मांग के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये कोई मांग का प्रस्ताव नहीं किया गया। अतः कोई भी धनराशि अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये आवंटित नहीं की गयी।

**जनपद-एटा के अमापुर में पी0 एच0 सी0 भवन निर्माण की मांग**

40-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-एटा के विकास खण्ड अमापुर में चिकित्सा व्यवस्था हेतु वर्ष 2003-2004 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ग्राम पंचायत धरा चीतरा में पी0एच0सी0 खोलने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पी0एच0सी0 भवन का निर्माण कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों पर वितरित सहायता धनराशि**

41-डा0 सुशील चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2004-05 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र

तहसील वाइज प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने प्रार्थना पत्रों पर सहायता धनराशि वितरित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा वित्तीय वर्ष 2004-2005 में तहसीलवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण निम्नवत् है :--

| क्रम सं0 | तहसील का नाम | प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष 2000-01 | वित्तीय वर्ष 2004-05 |
| 1 | सदर | 301 | 538 |
| 2 | वेहट | 89 | 166 |
| 3 | देवबन्द | 95 | 352 |
| 4 | नकुड़ | 212 | 243 |
| | कुल योग | 697 | 1299 |

वित्तीय वर्ष 2000-01 में कुल 697 प्रार्थना-पत्रों में 386 प्रार्थना-पत्रों पर सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल प्राप्त 1299 प्रार्थना-पत्रों में से 385 प्रार्थना-पत्रों पर सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रशिक्षित बेरोजगार ए0 एन0 एम0 को सरकारी सेवा में लिये जाने की मांग**

42-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में ए0 एन0 एम0 के कितने सरकारी एवं कितने निजी प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां संचालित हैं ? उक्त प्रशिक्षण संस्थाओं से कितनी ए0 एन0 एम0 प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होती हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संस्थाओं से प्रशिक्षित ए0एन0एम0 में से किस वर्ष तक प्रशिक्षित ए0एन0एम0 को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? शेष प्रशिक्षित बेरोजगार ए0एन0एम0 को कब तक सरकारी सेवा में लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्तमान समय में ए0 एन0 एम0 के 40 सरकारी प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित जनपदों में संचालित हैं :--

1-मेरठ
2-गाजियाबाद
3-मुजफ्फरनगर
4-इटावा
5-अलीगंज, लखनऊ
6-सीतापुर
7-रायबरेली
8-खीरी
9-गोरखपुर
10-बस्ती
11-देवरिया
12-मुरादाबाद
13-बिजनौर
14-बांदा

15-महोबा
16-आजमगढ
17-जौनपुर
18-बलिया
19-सुल्तानपुर
20-गोण्डा
21-बहराइच
22-आगरा
23-मथुरा
24-अलीगढ़
25-मैनपुरी
26-इलाहाबाद
27-प्रतापगढ़
28-बरेली
29-शाहजहांपुर
30-पीलीभीत
31-सहारनपुर
32-कानपुर नगर
33-फर्रुखाबाद
34-निशातगंज, लखनऊ
35-रामपुर
36-झांसी
37-चोलापुर, वाराणसी
38-मिर्जापुर
39-बड़ागांव, वाराणसी
40-फैजाबाद

शासकीय मान्यता के अधीन प्रदेश में उक्त प्रशिक्षण हेतु कोई निजी प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं है।

वर्तमान में सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिवर्ष प्रशिक्षणार्थियों हेतु भर्ती क्षमता 1056 है।

सेवानियमावली एवं शासनादेशें में निहित प्राविधानों के अनुरूप विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने वाली वर्ष 1986 से वर्ष 1991 के मध्यम प्रशिक्षित सभी पात्र अभ्यर्थियों को सेवा में लिया जा चुका है।

आरक्षित श्रेणी में उत्पन्न बैकलाग को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षित की गयी 1007 महिला अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र सेवा में ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**समाज कल्याण विभाग एवं निदेशालय के रिक्त पदों को भरने की मांग**

43-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग एवं निदेशालय में उप निदेशक के 56 पद एवं अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के 20 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन रिक्त पदों पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं। निदेशालय, समाज कल्याण में उप निदेशक, समाज कल्याण के 2 पद सृजित है। वर्तमान में दोनों पद भरे हुये है। अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) का निदेशालय स्तर पर कोई पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के देयों के भुगतान की जानकारी

44-श्री राम स्वरूप सिंह

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में जलपान गृह के कर्मचारियों को वर्ष 2001 से आज तक महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं पुनर्रीक्षित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा ई0पी0एफ0, ग्रुप इंश्योरेंस की धनराशि भी जमा नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त देयों के भुगतान के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"-

जी हाँ।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जलपान गृहों के कर्मचारियों को जनवरी, 2002 से पूर्व स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं मकान किराया भत्ते का भुगतान निरन्तर किया जा रहा है। वर्ष 2002 के पश्चात् इन कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं मकान किराये भत्ते की बढ़ी हुई दरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है क्यों कि वर्तमान में निगम संचित हानि पर है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 20-12-04 तथा दिनांक 18-1-99 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को जनवरी, 2002 से बढ़ी हुई दरों पर मंहगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान करने तथा पंचम वेतन आयोग के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण तथा उन वेतनमानों में देय मकान किराया भत्ता इत्यादि की स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

निगम के समस्त कर्मचारियों (जलपानगृह, डिपो एवं मुख्यालय) का ई0पी0एफ0 का एक ही खाता निगम में है। निगम के डिपो हानि पर है जिसके कारण ई0पी0एफ0 की कटौती की धनराशि निरन्तर प्राप्त नहीं हो पाती है। फलस्वरूप जनवरी, 2001 से जुलाई, 2001 तक तथा अगस्त, 2003 से अप्रैल, 2004 तक की ई0पी0एफ0 की धनराशि खाते में जमा नहीं है। अन्य कोई धनराशि शेष नहीं है और वर्तमान में उक्त मदों की धनराशि निरन्तर सम्बन्धित खाते में जमा की जा रही है। डिपोज की हानि के कारण जी0आई0एस0 मद की धनराशि पूर्व में निरन्तर प्राप्त न होने के कारण दिसम्बर, 2004 में पूर्व में चली आ रही पालिसी कालातीत हो चुकी थी। जनवरी, 2005 से नई पालिसी क्रय की गयी है, जिसमें माह सितम्बर, 2005 तक की पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी है। शेष माहों की धनराशि भी जमा करने का प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है।

## मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा श्री राम स्वरूप वर्मा प्रतिरक्षण अधिकारी की तीन वेतन वृद्धियां रोकने की संस्तुति

45-श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी तथा उसके अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को क्या-क्या विभागीय दण्ड दिये गये ?

श्री अहमद हसन-

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कराई गई जांच के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा श्री राम स्वरूप वर्मा प्रतिरक्षण अधिकारी की 3 वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से रोकी गयीं तथा 3 दिन का वेतन भी रोका गया।

**जनपद-सीतापुर के जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को दी जा रही दवाइयों की जांच की मांग**

46-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को नकली तथा एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों की विशेषज्ञों द्वारा जांच करायी जायेगी और दोषी पाये जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन के निर्देश लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी का 26 मार्च, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री वारेन्द्र कुमार चौधरी का जन्म 15 अक्टूबर, 1940 को सीतापुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी सर्वप्रथम वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मछरेहटा, जिला सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974, 1980 तथा 1989 में पुनः निर्वाचन क्षेत्र मछरेहटा, जिला सीतापुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी महर्षि रविदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामबाग मिश्रिख के प्रबन्धक, जिला परिषद् सीतापुर के सदस्य, आई0टी0आई0 सीतापुर के अध्यक्ष, दलित समिति संघ, सीतापुर के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष रहे थे। वे विधान सभा की लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विधान पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे थे। वे अपने जनपद के अनेक विद्यालयों के प्रबन्धक और अध्यक्ष भी थे। गरीबों के उत्थान एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप सभी लोग स्थान ग्रहण करें।

**कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक 29 मार्च, 2006 का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाए:-

**मार्च, 2006**

29 बुधवार
1. निधन के निर्देश।
2. उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण-आधा घण्टा।
3. "उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में" डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घन्टा।
4. "प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

सदन के शेष उपवेशनों तथा उनमें लिये जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में यथासमय सूचना दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आज जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई है, उसकी सिफारिश को मौखिक रूप से अभी कह दूँ या पहले आप इस कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव करेंगे ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, जैसा आप चाहें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप प्रस्ताव कर दें।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**आज का उपवेशन 12 बजकर 30 मिनट तक चला कर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

आज अभी जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है कि विधान सभा का आज का उपवेशन 12.30 बजे (अपराह्न) तक चलाकर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मा0 अध्यक्ष ने सदन के कार्यक्रम की जो सूचना दी है, उससे सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है आज विधान सभा का उपवेशन 12.30 बजे (अपराह्न) तक चलाकर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-8 पहले ले लेते हैं, कार्यस्थगन बाद में लिया जायेगा।

**उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगें।

मान्यवर, सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना 15 अक्टूबर, 2003 को की गयी थी, तब उसकी स्थापना एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा जो तत्कालीन औद्योगिक विकास सचिव के कैम्प से जारी किया गया था, उसके अधीन इसको किया गया था। उसके बाद इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर 01 मार्च, 2004 से इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन संचालित किया गया। आज सरकार इसको विधिमान्य स्थिति में लाने की दृष्टि से इसके सम्बन्ध में एक विधेयक लायी है, जिसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहती है। मान्यवर, इस विधेयक की कुछ बातों की तरफ आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है, पृष्ठ-4 में परिषद् की निधियां आप देखें-इसमें कहा गया है कि 'परिषद् की स्वयं की अपनी निधि होगी जिसे परिषद् निधि कहा जाएगा जो स्थानीय निधि होगी जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायेगी।' मान्यवर, यह नि

आयेगी कहां से, इसकी प्रारम्भिक राशि कहां से आयेगी और इसके आय के श्रोत क्या होंगे इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ? मान्यवर, यदि कृपा करके आप पृष्ठ-5 पर धारा-13 का 2 देखें, जिसमें कहा गया है कि 'परिषद् का लेखा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के वार्षिक लेखा परीक्षा के अधीन होगा परन्तु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के स्थान पर या इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को अपने द्वारा दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है।'

मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब हम अधिनियम के तहत इस उत्तर प्रदेश विकास परिषद् को विधिमान्य करना चाह रहे हैं तब फिर अन्य व्यवस्था है कि लेखा परीक्षा की जांच सी0ए0जी0 द्वारा होती है तो बजाए इसके कि लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है, सौंपा जायेगा होता तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, यह ठीक है कि विधान सभा या सरकार को किसी भी नियम या अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से बना सकती है, यह उसका अधिकार है। लेकिन इसको भूतलक्षी प्रभाव से बनाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। जब एक प्रशासनिक आदेश से संस्था काम कर रही थी और संस्था ने अच्छे कार्य किये थे तो आज हम उसके आधार पर विधिमान्य रूप देना चाहते हैं तो आवश्यकता नहीं है कि हम उसको भूतलक्षी प्रभाव से लायें। मान्यवर, अध्याय-4 प्रकीर्ण में देखें तो 'परिषद् की स्थापना के दिनांक से पूर्ववर्ती परिषद् अस्तित्व में नहीं रह जाएगी यानी वर्तमान में जो परिषद् काम कर रही है ऐसा नहीं है कि सरकार इस विधेयक के पास हो जाने के बाद या अधिनियम के लागू होने के बाद इसको भंग करके नई गठित करेगी। वर्तमान में कार्यरत परिषद् ही परिवर्तित होगी तब यह कहना पूर्ववर्ती परिषद् अस्तित्व में नहीं रह जायेगी, मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके उद्देश्य और कारण को देखने की कृपा करें तो इसमें कहा गया है कि 'राज्य सरकार द्वारा इस नीति संबंधी सूत्र के परिणामस्वरूप वर्ष 2005 की अवधि में तैंतीस हजार करोड़ रुपये की सीमा तक विनिधान के लिये प्रस्ताव आकर्षित करने में राज्य समर्थ हुआ है जो राज्य के लिए एक कीर्तिमान है। अनेक अन्य राज्यों ने इन नीति संबंधी सूत्रों को अपनाया है। परिषद् द्वारा विचारों की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वायत्ता के कारण परिषद् के लिये नई नीतियों की सिफारिश करना सम्भव हुआ है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त परिषद् को स्वायत्तशासी प्रास्थिति के साथ एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से स्थापित करने के लिये विधि बनाई जाए जिससे यह राज्य के विकास और उसके हितों के लिये अपने दायित्वों को अधिक प्रभावशाली रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें।'

मान्यवर, मेरा केवल इतना कहना है कि 33 हजार करोड़ रुपयों का जो विनिधान आकर्षण हुआ है उसके बारे में उचित होता कि मंत्री जी ने जब प्रस्तुत किया था तो सदन को जानकारी देते कि यह जो 33 करोड़ रुपयों का जो विनिधान आकर्षण हुआ है वह किन-किन क्षेत्रों में हुआ है और वह कब से लागू होगा और उसका क्या परिणाम आयेगा और इस विनिधान आकर्षण से कितने रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेकिन यह जानकारी नहीं दी गयी है। मान्यवर, इसमें विधायन के अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विधायन के अधिकारों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ''इसमें राज्य

सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिनियम के लागू होने के दिनांक से नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है"। मान्यवर, यह शक्ति अधिनियम के पास होने के दिनांक से दी जाय। पूर्व में जो काम हम कर चुके हैं उसको इस अधिनियम के द्वारा विनियमित करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, जब नयी संस्था बन जायगी उसकी नियमावली बन जायगी तो वह अपना काम खुद करेगी। नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से बनाना उचित नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह से खण्ड 21 में यह कहा गया है कि "इसमें राज्य सरकार को जहां उसका यह समाधान हो जाय कि जिस प्रयोजन के लिये परिषद् की स्थापना की गयी है वह पूरा हो चुका है अथवा परिषद् ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ है जिसके लिये वह स्थापित की गयी थी वहां अधिसूचना द्वारा परिषद् को विघटित करने की शक्ति दी जा रही है"। मान्यवर, एक तरफ तो हम विकास परिषद् के माध्यम से प्रदेश के विकास का सपना देख रहे हैं वहीं इसको विघटित करने की बात कही जा रही है। मान्यवर, विकास अनन्त है। विकास कभी परिपूर्ण नहीं होता। हर दिन एक नयी टेक्नालोजी आ जाती है और हमारी कार्यपद्धति बदल जाती है तो इसके द्वारा परिषद् को विघटित करने की शक्ति लेने की बात समझ में नहीं आती है। इस पर मुझे आपत्ति है। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने और काम करने की कुछ आदत सी हो गयी है। मान्यवर, अनर्हता विधेयक 2006 जो बना उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है और इसको भी लागू किया जा रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज अनिश्चितता की बात आ गयी है और कहीं यह सदन भी भूतलक्षी होने तो नहीं जा रहा है। इसीलिये मैं मांग करता हूं कि इस अधिनियम को जल्दी पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। मान्यवर, यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 15 अक्टूबर, 2003 से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के अच्छे कामों की बात कही गयी है लेकिन यह जो उद्योग विभाग द्वारा कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका है इसमें 05-06, 04-05 और यह जो प्रगति समीक्षा पुस्तक है 2004-05 की इसमें एक भी लाइन कहीं पर इस विकास परिषद् के बारे में नहीं दी गयी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति को भेज दें।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी माननीय बाजपेयी जी ने जो कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं उसको आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ महीनों से तमाम देश की राजनीति में एक आफिस आफ प्राफिट का ग्रहण लग गया है, लाभ के पद का ग्रहण लग गया है। जिसका प्रभाव यह हुआ है कि भिन्न-भिन्न प्रकार से इस लाभ के पद को बचाने की हम कोशिश करते रहे हैं और इसमें फंसते जा रहे हैं। कोई भी पार्टी और कोई दल इससे नहीं बचा है। अच्छा होता कि सभी राजनीतिक दल, यह जो कठिनाई आयी है इस पर विचार करते और इसका एक निराकरण निकाला जाता। आज भी सोच चल रही है, जैसी मुझे जानकारी मिली है कुछ महीनों में पार्लियामेन्ट का विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है इस बात पर विचार के लिए कि लाभ का पद क्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। सारी की सारी शक्ति हर राजनैतिक दल की और चाहे वह पार्लियामेन्ट हो, चाहे विधान मण्डल हो, लाभ के पद पर विचार करने में लग रही है। इस बात से हम घिर गये हैं। कुछ दिनों पहले यहां पर 1971 के डिसक्वालीफिकेशन ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव आया था और हमने आग्रह किया था कि इस पर समग्र विचार की आवश्यकता है अगर उस समय विचार किया गया होता तो आज इस अधिनियम पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मान्यवर, बिन्दु वहीं पर है। मजबूरी वही है और उस मजबूरी का शिकार हम होने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। प्रचार कुछ भी किया जाय वह इस्तीफा मजबूरी का परिणाम था। आपस की समझ में आपस के कोआर्डीनेशन, समन्वय का अभाव रहा और उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी उसी तरह से हर प्रदेश में उसकी दौड़ शुरू हो गयी हर प्रदेश में यह हो रहा है। संसद में भी अध्यादेश लाने का प्रयास चल रहा था नहीं हो पाया आपने जो शुरुआत की है ....

श्री जगदम्बिका पाल-

किसी से तुलना न करें केन्द्र सरकार में कोई अध्यादेश नहीं आ रहा है फिर भी हुकुम सिंह जी ख्वाब देख रहे हैं। जहां तक बाध्यता की बात है मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं ....

श्री हुकुम सिंह-

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब जब आपको मौका मिलेगा उस समय अपनी बात रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनुमति का कोई तरीका होता है मैं तो चर्चा कर रहा हूं विधेयक के ऊपर लेकिन उसे कोई समझ न पाये तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अध्यादेश कोई आपकी सम्पत्ति नहीं है यह पूरे पार्लियामेन्ट की सम्पत्ति होता है पूरे देश की सम्पत्ति होता है। मैं इसके लिए दल विशेष की बात नहीं कर रहा। देश या प्रदेश की कोई पार्टी बची ही नहीं है सब जगह समस्या आई हुई है इसीलिए मन में पीड़ा होती है कि कोई भी राजनीतिक दल आगे सरकार कैसे चला पाएंगे क्योंकि आगे सरकार चलाने के लिए दो दलों में तालमेल करना पड़ेगा और जब तालमेल होगा तो लोगों को पद भी चाहिए प्रलोभन भी चाहिए इसके बिना काम नहीं चलेगा इसमें बुराई भी कुछ नहीं है लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या पैदा हो गयी है। अगर उस वक्त इतनी जद्दोजहद एक व्यक्ति विशेष को पद का लाभ ग्रहण करने के लिए न की गई होती तो यह नौबत न आती। पार्लियामेन्ट में पहले तो ऊंचे-ऊंचे नारे लगवाए गए लेकिन बाद में क्या हुआ। हम राजनीति में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका कहीं न कहीं समाज में मान सम्मान होता है उनको इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कुछ बातों की तरफ बाजपेयी जी ने ध्यान आकृष्ट किया इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण यही है कि जो पुराना बिल हम लाए थे उसमें कमी थी।

यह उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक जो सदन में पेश किया गया है उसके अनुसार यह एक प्राधिकरण की तरह काम करेगा और इसका पद भी लाभ का पद नहीं होगा इससे होगा यह कि

अन्य राज्यों में भी इस तरह का प्रयास शुरू हो जाएगा और वहां भी इस प्रकार का बिल लाया जायेगा। आप तो केन्द्र सरकार को चलवा रहे हैं और उसके सहयोगी दल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं क्या आप वहां सुझाव नहीं दे सकते हैं जो बीमारी आफिस आफ प्राफिट की फैली हुई है उसको परिभाषित कर दिया जाय। यदि आपने पहल की होती तो आज इस तरह की बात नहीं होती जिसके कारण एक राज्य के विधायक राष्ट्रपति के पास मिलने गए और एक राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया इस तरह की विकट स्थिति है। इस तरह की बातों से घृणा होती है क्या इस पर रुकावट नहीं आएगी क्या यह रुक नहीं पाएगा इससे तो विधान मण्डल दल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं कि कैसे इस संस्था पर कब्जा किया जाय, कैसे इसे गौड़ किया जाय। यहां बैठने वाले व्यक्तियों का मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो विधान सभा का क्या मान सम्मान रह जायेगा। मैं आग्रह कर देना चाहता हूं कि इस पर हमें दलगत राजनीति का शिकार न होकर यह जो बुराई आई है उसे दूर करने की पहल करनी चाहिए। विधेयक को लाने में बुराई क्या है ? बुराई यही है कि जब कोई विधायक या सांसद चुनकर आता है तो हम उससे यह अपेक्षा तो नहीं करते कि वह विधायक या सांसद होने के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी करे लेकिन यह जरूर अपेक्षा करते हैं कि यदि उसमें क्षमता है, अनुभव है तो उसके अनुभवों को देखते हुए उसे ऐसा कोई कार्य दिया जाय जिससे देश और प्रदेश को उसके अनुभव का लाभ मिले। हम यह सोचेंगे कि वह दिल्ली से यहां आये तो अपनी जेब से किराया खर्च करे। स्वामी से भक्त हो जाय, गेरुआ वस्त्र पहिन ले। हवाई यात्रा का खर्चा देंगे नहीं। 10 पैसा भी वह अपना खर्च करे तो उसको भी नहीं दे सकते। आज लाभ के पद का इतना विस्तारीकरण कर दिया और विस्तारीकरण करने के बाद आज इस राजनीतिक तंत्र के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। मेरा बड़ी विनम्रता के साथ सुझाव है कि पहले आप इन पहलुओं पर विचार कर लें। पहले इसकी जड़ क्या है, इसके मूल पर विचार करने का प्रयास करें बजाय इसके कि यहां रोजाना इस तरह का विधेयक लायें। आज एक लाये उससे काम नहीं चला जो कल दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से आप कहां तक बचोगे ? इसमें बचने की बात भी नहीं होनी चाहिए। हमको निश्चित रूप से कोई न कोई स्वरूप और स्पैसिफिक चीज सदन के सामने रखनी चाहिए। पूरा सदन इससे सहमत हो और सहमत होने के बाद मान्यवर, हमको अपने वजूद का एहसास करना चाहिए। आज हमारे वजूद के ऊपर कितनी उंगलियां उठ रही हैं, मैं यह भी नहीं कहना चाहता क्योंकि ऐसी परिपाटी भी नहीं है। विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं आज जिस प्रकार से विधायिका का उपहास करने लगी हैं। यह चिन्ता की बात है।

हम लोग तो नियमों से बंधे हैं, हम उन लोगों का जिक्र तक यहां नहीं कर सकते हैं और जिस प्रकार से वे लोग यहां के बारे में टिप्पणी होती है, मंत्रियों के बारे में टिप्पणी होती है, विधायकों के बारे में टिप्पणी होती है उससे पीड़ा नहीं होती है क्या मन को ? क्या हम लोग भ्रष्ट रह गये और सब कहीं भ्रष्टाचार समाप्त हो गया ? अगर मैं जिक्र करना चाहूं और आप अनुमति दें तो मैं बता दूं कि नीचे से ऊपर तक यहां जो लोग अपने को शीशे के महल में बैठा देखकर कहें कि विधायिका में भ्रष्टाचार आ गया। आफिस आफ प्रोफिट हम लोग हो गये। मैं माननीय मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपने का जो मेरा प्रस्ताव है उसको इस भावना

से लें कि इस प्रश्न के ऊपर समग्रता के साथ विचार करने की आवश्यकता है कि इसके नीचे जो बीमारियां पैदा हैं उन्हें कैसे दूर कर सकेंगे। इस बात पर विचार कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आज यह उत्तर प्रदेश विकास परिषद् 2006 विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, इसके उद्देश्य और कारणों को मैंने देखा। इस पर जो हुकुम सिंह जी ने और बाजपेयी जी ने कहा था। पहले यह एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत था अब इसको स्वायत्तशासी एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से स्थापित करने के लिये विधेयक लाया गया है जिससे राज्य के विकास के कार्यों के लिये यह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल हो। मान्यवर, इसी कारण से यह विधेयक लाया गया है। जैसा हुकुन सिंह जी ने कहा इसके पीछे जो गंध आ रही है। जो लाभकारी पद हैं उसको अलाभकारी पद बनाने की गंध आ रही है। इससे पहले विधान मण्डल दल के सदस्य लाभकारी पद पर थे। उनको भी लाभ देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इससे जो सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की बात कही जा रही है। 15 अक्टूबर, 2003 से करने की बात इसमें आ रही है यदि इसको आज पारित कर रहे हैं तो इसको आज की तारीख से लागू होना चाहिए था। आप जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पहले कोई चीज गड़बड़ थी उसको ठीक करने के लिये इसको लाया गया है।

आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से आप उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी का 2005-2006 का बजट भाषण मेरे पास है इसमें आपने प्रदेश के विकास की बहुत बातें कही हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिये विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण, खाद्य एवं प्रसंस्करण, नई ऊर्जा नीति, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगी आदि क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के परपज से कर रहे है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना का परपज मोटे तौर से इसीलिए हुआ था। मान्यवर, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं दोहराना चाहता। आज इसको एक प्राधिकरण के रूप में बनाया जा रहा है। इसका जो गठन है इसमें कोई अध्यक्ष होगा, बारह आई0ए0एस0 होंगे, 12 प्रख्यात व्यक्ति होंगे जिनको सरकार द्वारा नामित किया जायेगा। इसके अलावा भी राज्य सरकार या परिषद् समय-समय पर विशेष आमंत्री के रूप में उपर्युक्त व्यक्ति को नामित कर सकती है। इस विधेयक के माध्यम से पूर्ववर्ती जितने सदस्य हैं उनके हित में इस तरह की व्यवस्था की बात कही गई है।

मान्यवर, जब नया विधेयक लाये हैं तो जो पुराने जो सदस्य थे उनको क्या लाभ मिला ? उनकी उत्तर प्रदेश के विकास में क्या भूमिका रही। जिसकी अच्छी परफारमेंस रही उनको रहने देना चाहिए। कुछ लोग नाम के लिए बने हैं कि हाई लेबल कमेटी में डाल दिया जाएगा तो मान-सम्मान बढ़ जाएगा। सभी पूर्ववर्ती लोगों के लिए बाजपेयी जी ने बात कही है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां मंत्रि-परिषद् है, मंत्रि-मण्डल है इसमें सारे प्रदेश के विकास के लिए विचार-विमर्श होता है, उत्तर प्रदेश का विकास होता है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की बैठक होती है उसमें निर्णय होता है उसके बाद निर्णय लिया जाता है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् ने निर्णय लिया रिलायन्स इण्ड्स्टीज लि0 द्वारा 3,740 मेगावाट के पावर प्लान्ट की स्थापना की जाएगी इसके लिए 2000 एकड़ जमीन सस्ती दर पर दी गई। इसमें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या प्रगति हुई ? अगर उ0 प्र0 विकास परिषद् कोई योजना की बात करे और उसका प्रदेश को लाभ न मिले तो उसका मतलब क्या है ? उसका परपज तो डिफीट हो जाएगा।

इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् ने निर्णय लिया था उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम 24 मिलों को निजी क्षेत्रों में पट्टे पर देने का निर्णय हुआ था। इसमें प्रगति जानना चाहूंगा। मान्यवर, अभी इस समय विधेयक में देखा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2006-07 का बजट प्रस्तुत किया था उसमें जो कहा गया इसमें अन्तर है। जो सरकारें होती हैं वह चाहती हैं कि उद्योगपति निवेश करें और इसके लिए सभी प्रयास करते हैं। 2006-07 में बजट में कहा पिछले दो वर्षों में 48 हजार करोड़ में 1205 के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस विधेयक में 33 हजार करोड़ रुपये की बात कही गई है। इसमें अन्तर क्यों है। विधेयक में 33 हजार करोड़ की बात है। बजट में 48 हजार करोड़ की बात है। तो यह बता दें कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इसमें कितने प्रस्तावों पर क्रियान्वयन हुआ है। उत्तर प्रदेश में किन उद्योगपतियों ने कितने उद्योग लगाए हैं। प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अब तक जो निवेश हुआ उससे कितने लोगों को रोजगार मिला। इन मुद्दों पर चिन्तन की जरूरत है। इसी के साथ मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पर विचार करने के लिए जो आज प्रस्तुत हुआ है उस पर चर्चा का समय दिया। माननीय विद्वान सदस्यों के द्वारा संशोधन प्रस्ताव आया है। सम्मानित सदस्य विचार कर लें मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सदन मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक पर आज चर्चा कर रहे हैं यह लाभ के पद का विधेयक नहीं है न अनर्हता विधेयक है जिसमें चर्चा हो रही है कि इसमें किसी मा0 सदस्य को गंध आ रही है या किसी व्यक्ति को बचाने की बात हो। अगर आज प्राधिकरणों की स्थापना हो रही है तो यह स्वागत योग्य है अगर कांग्रेस के जमाने में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की स्थापना हमने इसी तरह से अथारिटी बनाकर न की होती तो आज नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो देश में महत्वपूर्ण स्थान है, दुनिया में अगर दिल्ली राजधानी कही जाती है तो नोएडा भी पूंजी निवेश करने में केवल इसलिए समर्थ हो रहा है क्योंकि यह प्रेसक्राइव अथॉरिटी है सरकारी जगहों में जिस तरह से दिक्कतें कठिनाइयां आती हैं चाहे सिटीजन हो चाहे दमतर की कठिनाई हो उसमें आप निर्णय करने में सक्षम होंगे। अगर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विकास परिषद् को इतनी पूंजी मिली है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूंजी निवेश हुआ है तो आप जानकारी कर सकते हैं। अगर अथॉरिटी बनाई जा रही है तो स्वाभाविक रूप से विकास में जो नियम कानून बाधक हो रहे हैं उन प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने के लिए इसको एक प्रेसक्राइव अथॉरिटी को दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह विधेयक सरकार के उस लक्ष्य को सरकार के उस कदम को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ायेगा। यह 15 अक्टूबर, 2003 को पुरःस्थापित हुआ। आज इसमें चर्चा हो जाए संशोधन के माध्यम से स्वभाविक है यह संशोधन लागू हो। बेरोजगारी भत्ता कौन वहन करेगा। 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई है।

लेकिन क्या हम गवर्नमेन्ट एक्सचेकर से बेरोजगारी भत्ता अनन्तकाल तक देते रहेंगे या फिर रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे। यदि हमें रोजगार के अवसर बढ़ाना है तो उसके लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा जो प्रदेश के, देश तथा दुनिया के उद्योगपतियों को आकर्षित करने में सक्षम हो। हमें यहां एक खिड़की पर, एक जगह बैठकर ऐसा इन्फ्रासट्रक्चर मिल सकता हो, बिजली मिल सकती हो और बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके यदि इस दिशा में संशोधन हो तो उसका स्वागत किया जा सकता है लेकिन संशोधन पर चर्चा हो रही है, लाभ के पद की, अनर्हता के पद की। मैं समझता हूं जो इसके स्वरूप को एक स्वायत्तशासी स्वरूप बनाने की बात है, जिसमें मुख्य-मुख्य रूप से जो भी है और आज जो श्रमिक हैं, उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में और आज जो कम्पटीशन हो गया है, गवर्नमेन्ट की संस्थाएं यदि प्राइवेट सेक्टर की तरह कम्पटीशन में नहीं आती हैं आज चाहे चीनी मिलें हैं कारपोरेशन की या फेडरेशन की तो वह पिछड़ जायेंगी। मान्यवर, मैं कोई इरिलीवेन्ट बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, समय की पाबन्दी है, जल्दी खत्म करना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अन्य माननीय सदस्यों की सुन सकते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए तो आज इस कारपोरेट हाउसेज या प्राइवेट हाउसेज की तरह हमें उस प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा होना होगा या जो आज हमारे औद्योगीकरण के लिए सदन में चर्चा करनी होगी कि औद्योगीकरण में अब भी कौन-कौन सी बाधाएं हैं, कौन-कौन से व्यवधान आते हैं, यह सदन सक्षम है और यदि आज भी कोई व्यवधान आ रहा है, कुछ कठिनाइयां हैं तो इसके अच्छे वातावरण को तैयार करने के लिए हमारे सुझाव कारगर हो सकते हैं और यह स्वाभाविक है कि कोई भी प्रशासकीय दृष्टि से बना हुआ, जब तक स्वायत्तशासी नहीं होता है जैसे सतहरिया बना है, आज गीडा बना है, आज भी गोरखपुर में गीडा में कठिनाई है, जबकि हमने उसको भी प्रेसक्राइब अथॉरिटी बनाया है लेकिन आज भी वहां पर बुनियादी रूप से चाहे बिजली की कमी हो या आज वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी हो या कच्चे माल की कमी हो या जो उसके मार्केटिंग के लिए जो चीजें मुहैया होती हैं, वह नहीं है। आज जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनाया है या आज जिस तरह से इसको प्रेसक्राइव अथॉरिटी के रूप में बना रहे हैं यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और यह नहीं कि यह कोई व्यक्तिगत सरकार की है, कल कोई दूसरी सरकार आयेगी, परसों तीसरी आयेगी, एक कम से कम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यदि कोई सक्षम परिषद् विकास परिषद् बन जायेगी तो जो भी सरकार आयेगी उसको आगे बढ़ायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मैं ऐसा समझता था कि इस विधेयक पर कोई बहस ही नहीं होगी। अगर बहस होगी, तब अच्छा है, सुझाव दिए जायेंगे। लेकिन माननीय जगदम्बिका पाल जी ने और कुछ अंश माननीय हुकुम सिंह जी ने पक्ष में कहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुझाव भी दिए, कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का संशोधन, 2006 जो भी है, इसमें गंध कहां से आती है ? इसमें कहीं भी किसी का स्वार्थ नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए ... जो आज उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया था, उसके विकास के लिए, विकास परिषद् का गठन किया गया। पिछली जो विकास परिषद् बनी, उस पर गर्व होना चाहिए था हमारे सदन के सदस्यों को। जो उच्च से उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, उन उद्योगपतियों को प्रभावित नहीं कर सके। उन उद्योगपतियों ने एक रुपया भी खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं किया, शिष्टाचार के नाते से यदि चाय पिला दी हो, खाना खिला दिया हो, उस पर यदि आपत्ति हो तो उसका भी हम रास्ता निकाल देंगे।

विश्व बैंक ने चाहे अधिकारी समझ लीजिए या यहां काम करने वाले लोग हैं, उन्हें एक लाख नहीं 10 लाख रुपये महीना तक देने को तैयार है, ऐसे विशेषज्ञ थे और हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तस्वीर को तैयार किया है। केवल वह अपने सुझाव देते थे और इन लोगों ने 11-11 घण्टे लगातार बैठकर बैठक की केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब है पूरे हिन्दुस्तान का विकास। अपने जहाज से आना और अपने जहाज से जाना। कोई एक माननीय सदस्य खड़े होकर बता दे कि इन्होंने सरकार का एक रुपया भी लिया हो। अगर यह विदेश में भी गये तो सरकार से किराया या अन्य कोई सुविधा तक नहीं ली। उत्तर प्रदेश जोकि एक अच्छी सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे का प्रदेश बना हुआ है, कुछ शक्तियों ने पूरी कोशिश की इस प्रदेश में भाईचारे को बिखेरने की, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस सरकार ने पहल की है। यह पहली सरकार है जिसने कोशिश की है कि हम विदेशी कम्पनियों से बचें और अपने देश के उद्योगपतियों के माध्यम से ही हम उत्तर प्रदेश का विकास करें। क्योंकि उन्हें चिन्ता है कि हमारे प्रदेश में जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं वह बच सकें। उस विकास प्राधिकरण में ऐसे लोग थे और कितनी बाधाएं डाली गयी हैं।

मुझे आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि मुफ्त में जमीन दी, सस्ते में जमीन दी। मुझे लगता था कि उन्हें बहुत ज्ञान होगा लेकिन उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी, इससे सस्ती और कहीं-कहीं मुफ्त में हरियाणा में, यमुना नगर में, इसी रिलायन्स कम्पनी को जमीन दी गयी है। एक भी कहीं पी0आई0एल0 नहीं हुआ। इस उत्तर प्रदेश के विकास में कितनी बाधाएं डाली गयी हैं और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया उनके घरों में छापे मारे गये हैं। हमें गर्व है, फर्ख है, हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं थे, माननीय हुकुम सिंह जी, आपकी पार्टी के अच्छे सम्बन्ध थे रिलायंस से। हमारे सम्बन्ध तो 1996 के बाद से अच्छे हुए हैं। आज सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी कम्पनी ने दिया है तो सहारा ने दिया है। इतना रोजगार किसी कम्पनी ने हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं दिया है। उस सहारा पर 80 जगहों पर छापे मारे गये। रिलायन्स कम्पनी के अनिल अम्बानी के

घर पर छापे मारे गये। उत्तर प्रदेश में विकास करने वाले उद्योगपतियों के घरों पर छापे मारे गये। कितने गहरे षडयंत्र किए गए। क्या नाम लिवाना चाहेंगे कि कितनी बाधाएं डाली गयीं ? जबकि पंजाब ने हमारी इसी नीति को स्वीकार किया है और यमुना नगर में गाजियाबाद से पहले बिजली पैदा हो जाएगी और गाजियाबाद पीछे रह जाएगा क्योंकि वहां पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो और आज इसमें गंध शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि किस मानसिकता के लोग हैं। क्या है स्वार्थ इसमें ? क्या इसमें सरकार का स्वार्थ है ? आज बेरोजगारी भत्ते के बारे में कहते हैं यह भत्ता कब से देना है ? पहली अप्रैल के बाद देना है और बता दिया है कि फलां तारीख तक जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको देंगे। उनका हिसाब किताब आ जायेगा। आप लोग ही तो मिर्जापुर में थे। हम तो अहसान मानते थे, मुफ्त पढ़ाई कैसे देंगे, मुफ्त दवा कैसे दे देंगे ? पूरे भरे चुनाव में मुलायम सिंह यादव असत्य बोलता है। क्या नहीं हमने करके दिखा दिया ? आज सीधा-सीधा किस सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है ? यह इस सरकार ने की है। (मेजों की थपथपाहट) यह मामूली काम नहीं है। अगर इन्होंने पढ़ा लिखा होता, तो बजट में है, मान्यवर, 0.5 प्रतिशत विकास दर थी उत्तर प्रदेश की और आज 6 प्रतिशत हो गयी है। हमनें सात गुनी विकास दर का लक्ष्य पूरा किया है। कोई मामूली बात है हिन्दुस्तान के अन्दर ? जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, उसका 2009 तक लक्ष्य रखा था। यह पहला प्रदेश है जिसने अपने रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म किया है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिली। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि यह राष्ट्रीय समस्या है, यह उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं हैं।

हम चाहते हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो। हमारा लक्ष्य, आप जानते हैं कि हमने विद्यार्थी जीवन से अभी तक नारे लगाये हैं, यह बैठे हैं, यही लड़के कहने आये थे, 21 फरवरी, 2003 को गोलियां चलीं थीं, टियर गैस चला था। अगर हम मुख्य मंत्री होते तो लड़कों के बीच में जाते और कहते कि आपकी बात जायज है, आपने बढ़ी हुई फीस को कम करने की बात कही है जो बेरोजगारी का भत्ता मांग रहे हैं, आप दाखिले के लिए सुविधा मांग रहे हैं। इसको लेकर गोलियां चलीं, टियर गैस चली, लाठियां चलीं, लड़के घायल हुए हैं। मैंने जनेश्वर मिश्र जी की आंखों में जीवन में पहली बार आंसू देखे। आश्चर्य होता है कि विकास परिषद् में केवल उत्तर प्रदेश की जो बाधा आ रही थी, उन बाधाओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी। जैसे आज हम हैं, कल आप आ जायें तो यह सुविधा आपको मिलेगी। ऐसे-ऐसे लोग हैं। जमीन घोटाला हुआ पंजाब में घोटाला हुआ, महाराष्ट्र में यह घोटाला हुआ, गुजरात में घोटाला हुआ। पता लगाइये उन्होंने जमीनें इससे कम दर पर दी हैं। आज भी तैयार हैं। और जब गाजियाबाद में लगा रहे थे तो कहा था उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाओगे। इतनी कोशिश की गयी। हम इन बातों को सदन के अन्दर नहीं खोलना चाहते हैं। इतनी बाधायें डाली गयीं। समझौता हुआ कि गैस दी जायेगी। आज वह बदल गये हैं। उसके लिए मुम्बई हाईकोर्ट में बाकायदा सरकारी संस्था गयी है कि समझौता हुआ है तो गैस देनी पडेगी। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हर स्तर पर बाधा डालने की कोशिश की गयी है। मुलायम सिंह जब पहली बार यह पेश किया गया था। तो आपने समर्थन किया था। लालजी टण्डन सही बात कहेंगे तो यह कहा जायेगा कि सपा से मिले हुए हैं, इनको हटाओ। विपक्ष के नेता का काम केवल आलोचना करना ही नहीं, सुझाव

देना भी [illegible] हमने भी दिया था। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी बैठे थे और [illegible]ारे बीच में लोकपति त्रिपाठी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने बढ़ती हुई जनसंख्या पर अपना सुझाव दिया था। तिवारी जी ने हमको बधाई दी थी, कहा कि हम केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे आपका सुझाव, लोकपति जी ने कहा सुझाव भेजेंगे, अच्छा सुझाव है। यह है काम विपक्ष के नेता का। यह चाहते हैं कि विपक्ष का नेता गाली दे और बुरा-भला कहे। एक गरिमा है विपक्ष के नेता की, नेक्स टू चीफ मिनिस्टर माना जाता है। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि यह विकास परिषद्, एक तो विदेशी कम्पनियों को रोकने का पहला हमारा लक्ष्य था और लक्ष्य है और यह हमने आज नहीं 1992 में कहा था कि हम चाहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी है कि विनिवेश होगा और करना पड़ेगा। बड़ी कम्पनियों को हमने देख लिया, सबसे ज्यादा विनिवेश किया है, लेकिन हम चाहते थे हमारे देशी, हमारे हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों के माध्यम से होगा तो वह अपने हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों को बचा ले जायेंगे। तो विकास परिषद् यह केवल बाधायें आने की वजह से हमने कोशिश की है कि इसे कम किया जाय जिससे कि कोई भी सरकार आये उसके सामने बाधा न पड़े और उत्तर प्रदेश का विकास हो। केवल लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के विकास का। अगर समझते हैं कि हमारा निजी स्वार्थ है .... किसी का स्वार्थ नहीं है। तभी मैंने कहा कि एक रुपया बता दें इन बड़े-बड़े लोगों ने सरकारी खर्च किया है। हां खाना खिला दिया है हमने। नहीं खाना चाहते थे। अगर होटलों में रहे, तो होटल का किराया हमने नहीं दिया अगर रहेंगे।

विदेश में गये हैं तो हमने नहीं खर्च किया, अमर सिंह विदेश गये हैं तो हमने नहीं खर्च किया है, अपने खर्चे से गये हैं तो आज तो इनको साबित करना चाहिए था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हम कभी किसी से बात नहीं करते थे इस तरह की। विकास परिषद् बना कर के कोई दिखा दे, उच्च से उच्च पदों पर बैठे हों, अगर दिखा दे। हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो यह हमने कोशिश की थी। सुरक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन अच्छा है ? इसी तरह से बैंकिंग का सबसे अच्छा काम करने वाला सबसे अच्छा कौन है ? तो यह सब उसके अन्दर शामिल हैं। अगर फिल्म इण्डस्ट्री में भी हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो उसमें भी अमिताभ बच्चन हैं। इसी तरह से कहां तक गिनायें, एक-एक वह माननीय हुकुम सिंह जी इसमें है, हम आज कहना चाहते हैं, कोई भी पार्टी उच्च से उच्च पदों पर बैठ कर दिखा दे, ऐसी विकास परिषद् बना दे। एक भी कहीं भी लालच नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का विकास हो और भावनात्मकता में मैं कहना चाहता हूं, धीरू भाई अम्बानी ने कहा था और उसी भावना से यह लगा है अनिल अम्बानी। आपके लोगों ने आपके साथियों ने कहा रोज स्कैण्डेल है, भाई स्कैण्डेल हो गया, जमीन बेच दी गयी है। क्या-क्या स्कैण्डेल कहा गया। अगर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई काम हो, अगर बिजली घर का कारखाना सबसे बड़ा लगे, उसके लिए लोगों द्वारा घूम-घूम कर के मौके पर जा-जा करके किसानों को भड़काने की कोशिश की गयी थी, जबकि हमने किसानों का सीधे, माननीय हुकुम सिंह जी को पता है, कोई बीच में नहीं पड़ा है, किस[illegible] से सीधे बात हुई है और यह भी नियम हमने ही बनाया था। किसानों की मर्जी से हुआ है किसानों को लगा कि इतना पैसा हमको मिल जायेगा, इतना मैं दे दूंगा, उसी के अनुसार हुआ है। स्टाम्प की ड्यूटी में हमने रियायत दी है। अगर, पंजाब ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने हमसे ज्यादा सुविधा दी है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं किसी के नाम पर बहुत कोशिश की गई। अगर ऐसा नहीं था, तो माननीय हुकुम सिंह जी, किसानों का इतना फायदा हो जाता है ? हो जाता है इतना-इतना फायदा

गन्ना किसानों का ? आज यह हालत हो गई कि एडवांस दे रहे हैं गन्ना किसानों को। आज चीनी मिल मालिक एडवांस रुपया दे रहे हैं कि गन्ना चाहे जब दे देना, रुपया ले जाइये। पहले किसान पीछे-पीछे भागता था, महीनों नहीं वर्षों और इन्हीं का पैसा हमने दिया, बकाया इनके जमाने का। गाली हमको देते थे, लेकिन हमने उसको किया है, यह नीति हमारी थी। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकारी गोदाम भरें गेहूं से, लेकिन नहीं मिल रहा है। आज बाजार में गेहूं मंहगा है और सरकारी कांटे पर मंहगा नहीं है। यह हमारे सामने संकट है और बहुत बड़ा संकट है। उधर पैदावार घट रही है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो विदेशी अन्न हमको फिर खाना पड़ेगा। इससे बचने के लिये हमने भूमि सेना का गठन किया है। विकास परिषद् हमारी मदद कर रही है, सुझाव दे रही है, जिसमें हमारी कोशिश है, हमारा ढाई लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। इस प्रकार भूमिहीनों को जमीन मिलेगी और पैदावार बढ़ेगी। तब तक पैसा सरकार ही खर्च करेगी, जब तक उसमें खेती पैदा करने लायक वह नहीं हो जायेगी। क्या ऐसा कहीं किया गया है ? व्यक्ति अपनी जमीन पर काम करेगा और 58 रुपये मजदूरी भी उसे मिलेगी। क्या ऐसा है कहीं ? हमारी सरकार ने ऐसा किया है कि पट्टा दे दिया है और अपने खेत पर ही काम करके 58 रुपये मजदूरी भी उसे मिले।

यह सब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, 20 हजार रुपये कितने परिवारों को दिया है। इस बार 4 लाख लड़कियों को देने जा रहे हैं। तो यह जो हम नीतियां बना रहे हैं, इसी के कारण चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सब हुआ है। ऐसा कहीं हिन्दुस्तान में है कि दवा मुफ्त मिलती है, पढ़ाई मुफ्त होती है, वह भी बिना किसी भेदभाव के, बिना यह देखे कि कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा ? कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कल लालजी टण्डन मुख्य मंत्री बन जायें। हालांकि यह बनने नहीं देंगे, यह जो हुकुम सिंह हैं, इनकी जहां तक चल पायेगी, यह लालजी टण्डन को नहीं बनने देंगे। यह हम बता रहे हैं और दूसरे नं0 पर तो आप ही हैं। प्रमोद कुमार तो आते ही नहीं। यह चाहते हैं, हमारे मौर्य जी, यह भी नं0 2 नहीं हो पा रहे हैं। हम यदि हटेंगे तो आप ही आयेंगे, आपको सब देकर जायेंगे। हम आपको ही दे के जायेंगे। लेकिन जब तक आप मन्दिर-मस्जिद यह सब नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप नहीं आ सकते हो। कौन समर्थन दे देगा आपको ? चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लें, लेकिन समाजवादियों को कमजोर नहीं कर सकते हो। मैं यह बात वैसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं। हमारे लोग और पूरी जनता यह चाहती है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े और हम आज बता रहे हैं कि कर्नाटक में जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी भी बीच में होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ चाहे जो। आज मैं कहना चाहता हूं कि थोड़े समय बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी और दूसरी तरफ कौन होगा, यह फैसला भी बहुत जल्दी होने वाला है। माननीय हुकुम सिंह जी ने सही बात कही, तलवार चला दी, लेकिन तलवार उल्टी चल गयी। उल्टी चल गयी तलवार। कोशिश की थी आपने और बड़ा भारी काम किया था, जया बच्चन को हटवाकर। बड़ा अच्छा काम किया था हिन्दुस्तान के अन्दर कोई स्वीकार करेगा ? अगर जरा भी इंसान होगा, समझदार होगा, अगर संविधान निर्माताओं की भावनाओं को पढ़ा और समझा होगा, तो पता होगा कि किसके लिए बनी थी। अगर जया बच्चन जैसे लोग राज्य सभा में नहीं पहुंचेंगे तो कौन वहां पहुंचेगा ? ऐसे लोगों को भी पसन्द नहीं किया। शिकायत किसने की थी, शिकायत करने

वाला कौन था, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मजबूरी थी, सदस्यता तो जानी ही थी। कोई दल वंचित नहीं है, यह भी सही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो, अभी झारखण्ड ने भी बना दिया, झारखण्ड ने भी वैसा ही बनाया जैसा कि हमने बनाया, राजस्थान ने भी हमसे ही मांगा और तो और माननीय प्रमोद कुमार जी, दिल्ली की सरकार ने भी हमारा ही विधेयक मांग लिया। सब जगह यही कर रहे हैं। तो एक आदर्श है उत्तर प्रदेश। यह एक मॉडल है। हम जो करेंगे, वही सबको करना पड़ेगा।

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय बाजपेयी जी, जैसे जगदम्बिका पाल जी ने समर्थन किया है, वैसे ही कीजिए। इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं थी और मुझे पता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को जल्दी जाना है, इसलिए नेता विरोधी दल महोदय इसे पास कर दीजिए। स्पीकर साहब को बहुत जल्दी जाना है, देर हो रही है, यह हमें पता है। तो मान्यवर, आपको मौका देना चाहिए कि इसको बिना सोचे समझे पास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि जो कहना था आपने कह दिया, अगर कुछ और जरूरी होगा, कहीं बाधाएं होंगी, तो यह सदन अनिश्चितकाल के लिए नहीं स्थगित हो रहा है, हम कोशिश करेंगे माननीय प्रमोद कुमार जी कि हम क्यों यह दाग लगने दें कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हुआ। हम प्रयास करेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, उनका भी अभिभाषण हो जाना चाहिए। कोशिश क्या हम अभिभाषण करायेंगे। यह सदन अनिश्चितकाल के लिए नहीं स्थगित हो रहा है, हम आपको जल्दी बुलायेंगे। विकास परिषद् से ले करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक-दो दिन विचार हो, आप सुझाव दें, हमारी गलतियों को पकड़ें, हम उन्हें दूर करेंगे। रोजा की फैक्ट्री जो थी, उसके लिए सब निराश हो चुके थे, वहां यूनिट लगेगी। उसका बाकायदा काम शुरू हो रहा है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किसी योजना, किसी प्लानिंग के नाम पर अगर आप प्रस्ताव लायें, या हम ही प्रस्ताव लायेंगे, उस पर एक-दो दिन बहस कीजिए। उत्तर प्रदेश का विकास जैसे भी हो, होना चाहिए, ताकि एक आदर्श कायम हो और ऐसा लगे कि हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितने चिन्तित हैं। हमारी जो कमजोरियां होंगी, हम उन्हें सहज की स्वीकार कर लेंगे। जो सुझाव आप देंगे, उन्हें हम स्वीकार करेंगे। अब हमारी प्रार्थना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय को भी जल्दी जाना है, इसलिए इसे पास करा दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा है, अगर उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे तो कहा जाएगा कि हमने सही काम नहीं किया है, इसलिए मान्यवर, केवल चार पंक्तियां ही कहूंगा। एक तो प्रश्न यह उठता कि विकास परिषद् का गठन तो पहले से ही था, वह वजूद में भी थी, फिर भी आप यह विधेयक लाये। विकास परिषद् ज्यों की त्यों है, वही पदाधिकारी हैं, उसमें कोई संशोधन की बात नहीं है तो फिर यह निगम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? मान्यवर, जिसकी ओर मैंने इशारा किया था, कारण वही है।

दूसरी बात, अभी आपने कहा है, कुछ नाम भी लिये हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन क्या यह दुःख की बात नहीं है कि एक माननीय सदस्य को, जो विकास परिषद् के सदस्य थे और सांसद भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे, उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति देते हुए राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन की स्पष्टता के कारण मैं राज्यसभा की सदस्यता छोड़ रहा हूं। तलवार लटक गई थी, इसलिए ऐसा कहा। मैंने जो इशारा आपसे किया था कि एक-एक करके मत लाइये। एक साथ लायें तो सारी बातों पर समग्र विचार कर ली जाये। बस एक पंक्ति और कहूंगा मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बार-बार इस बात का अहसास कराते हैं गन्ने के बारे में कि बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, किसान आगे-आगे है, मिल वाला पीछे-पीछे है। एक बात और कभी भी विचार कर लिया करें, अगर आपकी नीति की वजह से गन्ने का दाम मिल रहा है तो क्या आपकी नीति की वजह से रु0 22-23 प्रति किलो चीनी का भाव है। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि नीति की बात भी है, यह नीति की वजह से मिल रहा है या मार्केट फोर्सेस हैं उनकी वजह से मिल रहा है। केवल यही नहीं पड़ोस में हरियाणा, पंजाब भी है, वहां सरकार द्वारा घोषित मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल है, इससे कम नहीं है, इसलिए नीति की वजह से तो नहीं मिला है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

कितनी चीनी मिले हैं जो इतना दे रहे हैं ? ज्यादा मत कीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक, दो या तीन मिलें हैं, आपने जिक्र किया इसलिए कहना चाह रहा हूं। एक राज्य इतना बड़ा है (छोटा), एक राज्य इतना बड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी 12.00 बज गया है, एक घण्टा समय निर्धारित था। (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर) कोई जरूरी नहीं हर आदमी इसमें बोलेगा, हुकुम सिंह बोल लिये। कृपया शान्त रहें। हुकुम सिंह जी, आप जल्दी खत्म करें।

श्री हुकुम सिंह-

मजबूरी है कुछ की, कई-कई मजबूरी लोगों के सामने हैं, सुनने की क्षमता भी रखो। मैंने कितनी शान्ति के साथ सारी बातें सुनी हैं। कोई गाली किसी को नहीं दे रहा हूं, अपशब्द कुछ नहीं कह रहा हूं।

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

अपशब्द नहीं कह रहे हैं लेकिन सही बोलिये।

श्री हुकुम सिंह-

सही बोलने की ठेकेदारी आपके पास ही नहीं है, मेरे पास भी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें, अब समाप्त होने दें। माननीय श्री हुकुम सिंह जी समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तो समाप्त करने वाला था। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्रस्ताव रख दिया था, इन्हीं बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के लिए रखा था, आपके भी विचार आ गये, हमारे भी विचार आ गये, यही हमारा उद्देश्य था।

(श्रीमती गुलाब देवी द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठें। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

* नेता विरोध दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, जो विधेयक बनते हैं, पेश होते हैं, उन्हें हम पास करते हैं, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आपने तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सारी नीति और सरकार की सब कुछ बता डाली लेकिन आपने कभी यह भी सोचा है कि आज आपने कुछ उद्योगपतियों को, कुछ एक्सपर्ट्स को रखा। कल ऐसी सरकार आ सकती है जो जाति के आधार पर कुछ लोगों को रख देगी, उस वक्त इस प्रदेश के संसाधन हैं उनकी क्या दशा होगी, वह भी आपने आडिट से मुक्त कर दिया। आपने कर दिया कि विकास परिषद् आडिट करा सकती है, नहीं कराती है तो कल आपके सामने यह संवैधानिक बाध्यता है जितने निगम और परिषदें हैं उन सबकी वार्षिक रिपोर्ट आडिट की हुई वह इस सदन में पेश होती है, उसके ऊपर हमारी जो पी0ए0सी0 है वह विचार करती है, सदन में फिर उसकी रिपोर्ट आती है। आपने उन सारी प्रक्रियाओं से मुक्त कर दिया लेकिन कल के बारे में नहीं सोचा कि कल कोई ऐसे लोग भी आ सकते हैं, निश्चित ही आयेंगे, राजनीतिक मजबूरी बन जायेगी लोगों को एकमोडेड करना, राजनीतिक मजबूरी होगी जो वहां पर पावरफुल होगा वह हो जायेगा और जब ऐसे लोग हो जायेंगे। (श्री अम्बिका चौधरी ने बैठे हुये कहा कि आपकी मदद के बिना नहीं होंगे।) अभी फिलहाल मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं वह यही मान करके कि अनन्तकाल तक इन्हीं को चलना है, लेकिन अनन्तकाल तक कोई नहीं चलता इसलिए यह सोचें कि कल जो आने वाली परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री हैं और एक राजनेता ही नहीं आप कोई नीतिकार भी हैं तो मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में एक वाक्य है कि-'स्टेटमेन्ट हू मैन हू थिन्क्स फार जेनेरेशन्स एण्ड पोलिटिसियन्स थिन्क्स अप टू रिच इलेक्शन्स' 'Statement who man, who thinks for generations and politicians, thinks up to rich elections'.....

एक राजनीतिज्ञ का काम है कि अगले एलक्शन के समय तक मौजूद रहे लेकिन जो नीति निर्माता हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि वह किसी नीति और सिद्धान्त और नैतिक आधार पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह सोचना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों पर आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा। मान्यवर, आज संकट दूर हो जायेगा लेकिन कल जो प्रदेश के सामने संकट पैदा होगा उसका कोई निदान होगा ? हम विकास परिषद् को खत्म करने की कोई मांग नहीं कर रहे हैं। आप हमारे प्रवर समिति के प्रस्ताव को मान लें तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्थायें हो सकती हैं जो फायदेमन्द होगी। इसमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इसको विभाग बनाता है उनकी दृष्टि में और जनप्रतिनिधि की दृष्टि में अन्तर होता है इसलिए इस पर विचार हो जाए और जो कमियां हैं वह ठीक हो जायें और इसमें कुछ व्यवस्थायें हो जायें कि आखिर इसमें किस कैटेगरी के लोग इसमें रहेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने तो इसमें रख दिए लेकिन आने वाले दिनों में, भविष्य में इसमें कौन होगा उसकी क्वालीफिकेशन क्या होगी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ? मैं हूं या कोई हो सबको संविधान के दायरे में बांध देना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए कि वह जो चाहे अपनी तरफ से करे। यह प्रोसीडिंग गवाह रहेगी कि यह विकास परिषद् आने वाले समय में, जो इसे विधेयक के द्वारा शक्ति मिल रही है, यह इस प्रदेश में राजनीतिक शोषण का और आर्थिक शोषण का जरिया बन जायेगी, इसको रोकिये। मैं नहीं कहता कि इसमें जो लोग रखे गये हैं वह लोग लूट रहे हैं, या पैसे ले रहे हैं लेकिन कल ऐसी स्थिति आ सकती है। उसके लिए इसमें क्या प्राविधान है जिससे वह परिस्थितियां रोकी जा सकें ? इतना ही मुझे कहना है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके बाद विधेयक पास करना है। कोई गीता या कुरान नहीं है कि आप बहस करें ? अगर हम समझते हैं कि कमियां रह गयी हैं तो आप अगले सत्र में बैठकर बहस कर लीजिए, हम कमियां सुधार लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छी बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमने कहा कि हम आपका और सदन का सहयोग चाहते हैं। जहा तक जाति-पांति का सवाल है, यह आपके हाथ में है। वह आप ही लाते हैं, हम तो लाते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, (शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे दोबारा प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-2 से खण्ड-21 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006**

राज्य में विनिधान परक वातावरण तैयार करने, उद्योगों की स्थापना एवं विकास करने, किये गये निवेश के अनुसार विनिर्दिष्ट उद्योगों को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देने, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में गतिरोध/अवरोधों को दूर करने और राज्य में विनिधान आकृष्ट करने, सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण करने, राज्य में सेवायोजन के अवसरों में वृद्धि करने हेतु श्रम-विधियों का सुव्यवस्थीकरण

करने के लिए किये जाने वाले उपायों पर सरकार को सलाह देने हेतु राज्य में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

**प्रारम्भिक**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 15 अक्टूबर, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य पूर्ववर्ती परिषद् के गवर्नर बोर्ड से है;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ग) 'संयोजक' का तात्पर्य परिषद् के संयोजक से है;

(घ) 'परिषद्' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है;

(ङ) 'सदस्य' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य है;

(च) 'पूर्वर्ती परिषद्' का तात्पर्य औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-55 (सचिव-ग-कैम्प)औ0वि0अनु0--6, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को प्रथम स्थापित और बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन निबन्धक सोसाइटी द्वारा क्रमांक 2348/2003-2004 पर पहली मार्च, 2004 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत उत्तर प्रदेश विकास परिषद् से है;

(छ) 'सचिव' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य-सचिव से है।

**अध्याय-दो**

**परिषद् की स्थापना, कारबार का संचालन, कृत्य, शक्तियां, निधि, लेखा एवं लेखा-परीक्षा**

परिषद् की स्थापना

3-(1) उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिपद् सभी प्रयोजनों के लिये एक स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

(4) परिषद् का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा और इसके ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं, जहाँ वह आवश्यक समझे।

परिषद् का गठन 4-(1) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :-

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् का अध्यक्ष, पूर्ववर्ती परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के दिनांक से परिषद् का अध्यक्ष माना जाएगा।

| | |
|---|---|
| (ख) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव - | पदेन संयोजक |
| (ग) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त | पदेन सदस्य सचिव |
| (घ) उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (च) उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (छ) उत्तर प्रदेश सरकार में कर एवं निबन्धन विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (ज) उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (झ) उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (ञ) उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (ट) उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण विभाग का प्रमुख सचिव; - | पदेन सदस्य |
| (ठ) उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग का प्रमुख सचिव - | पदेन सदस्य |
| (ड) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड - | पदेन सदस्य |
| (ढ) अर्थ तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों के 12 से अनधिक प्रख्यात व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किये जाएंगे : - | पदेन सदस्य |

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्ववर्ती परिषद् का सदस्य, पूर्ववर्ती परिषद् में अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् का सदस्य माना जाएगा और वह अपना पद-त्याग करने या अन्यथा रिक्त यदि कोई हो, किये जाने तक बना रहेगा।

(2) राज्य सरकार या परिषद् समय-समय पर विशेष आमंत्रितियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को भी नामित कर सकती है :

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती परिषद् के लिये राज्य सरकार या परिषद् द्वारा नामित विशेष आमंत्रिती, पूर्ववर्ती परिषद् में अपने नामित किये जाने के दिनांक से परिषद् के विशेष आमंत्रिती माने जाएंगे।

(3) परिषद् किसी व्यक्ति को परिषद् की बैठक में किसी विषय पर उसको परामर्श देने या सहयोग करने के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकती है, और ऐसा आमंत्रित व्यक्ति परिषद् की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) परिषद् में कोई रिक्ति होने या उसके गठन या उसके कार्य या कार्यवाही में त्रुटि या अनियमितता के कारण परिषद् का कोई कार्य या उसकी कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि

5-(1) परिषद् का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा जब तक कि उसके कार्यकाल का पर्यवसान पूर्व में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा न किया जाए और वह पुर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आदेश द्वारा उसके कार्यकाल का पर्यवसान न किया जाए और वह पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा अपने पद या सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और/या ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसे अपने पद से रिक्त हुआ समझा जाएगा।

(4) अध्यक्ष और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य अवैतनिक होंगे।

परिषद् के कर्मचारिवृन्द

6-(1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपना समुचित कार्य करने के लिए उपयुक्त पदों का सृजन कर सकता है।

(2) परिषद् उपधारा (1) के अधीन सृजित किये गये पदों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी, स्थायी या संविदा के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है या उन्हें नियोजित कर सकता है और उन्हें मजदूरी, वेतन आदि का संदाय कर सकता है तथा उन्हें भविष्य निर्वाह निधि, उपदान आदि की प्रसुविधाओं सहित ऐसी अन्य प्रसुविधाएं अनुज्ञात कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायं।

(3) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में परिषद् या उसके किन्हीं कृत्यकारियों द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य होगी और उसकी सेवायें इस आधार पर किसी भी समय सक्षेपतः समाप्त किये जाने योग्य होगी।

(4) परिषद् अपने अंशकालिक कृत्यकारी के रूप में सरकार या किसी संगठन के पूर्व अनुमोदन से उसके कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकती है :-

परन्तु ऐसे उपर्युक्त कृत्यकारी, जो पूर्ववर्ती परिषद् में कार्य कर रहे थे, परिषद् में कार्य करते रहेंगे।

परिषद् के कृत्य

7-परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) निम्नलिखित के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर राज्य सरकार को सलाह देना,

(1) राज्य में विनिधानपरक वातावरण को संवर्धित करना।

(2) उद्योग और सेवाओं की स्थापना और विकास।

(3) उद्योगों और सेवाओं को विशेष प्रास्थिति/प्रोत्साहन देना।

(4) राज्य में औद्योगिकीकरण और विनिधान की प्रक्रिया में गतिरोध/बाधाओं को दूर करना।

(5) राज्य के विभिन्न परिक्षेत्रों को स्थानीय क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण सहित आर्थिक विकास।

(6) राज्य में विनिधान को आकर्षित करना।

(7) सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(8) श्रम विधियों को युक्तिसंगत बनाना जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो।

(ख) ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किये जायं।

परिषद् की शक्तियां

8-(1) परिषद् के कृत्यों को सुकर बनाने के लिए परिषद् राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण से कोई सूचना मंगा सकता है।

(2) परिषद् राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कृत्यकारी या राज्य सरकार के अधीन किसी अभिकरण या प्राधिकरण को परामर्श के लिए बुला सकता है।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

9-परिषद् के लिए बैठक संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाय।

शक्तियों का प्रतिनिधियन

10-इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अपने द्वारा नियुक्त की जाने वाली किसी समिति को या परिषद् के संयोजक सचिव या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखितों का अभिप्रमाणन

11-परिषद् की सभी कार्यवाहियों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जायेगा और परिषद् के सभी आदेशों और अन्य लिखितों को परिषद् के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

परिषद् की निधियां

12-(1) परिषद् की स्वयं की अपनी निधि होगी जिसे परिषद् निधि कहा जाएगा जो स्थानीय निधि होगी जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभा धनराशि जमा की जायेगी।

(2) परिषद् भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान और सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों और कम्पनियों से अंशदान प्राप्त कर सकेगी और प्रदान की गयी सेवाओं के लिए फीस और प्रभार का भी संग्रह कर सकेगी।

(3) धारा-16 में किसी बात के होते हुए भी परिषद् निधि का प्रबंध और नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वायत्तशासी निकाय के रूप में किया जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

13-(1) परिषद् समुचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव करेगी और तुलन-पत्र को सम्मिलित करते हुए लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे रूप में तैयार करेगी जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) परिषद् का लेखा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के वार्षिक लेखा परीक्षा के अधीन होगा :

परन्तु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के स्थान पर या इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को अपने द्वारा दिए गए अनुदान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है।

(3) परिषद् का लेखा, लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित परिषद् के समक्ष वार्षिक रूप से या ऐसे समय पर जिसे उसके द्वारा निदेशित किया जाए, रखा जाएगा।

## अध्याय-तीन

### नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति

14-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार भूतलक्षी दिनांक से नियम बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व का न हो।

विनियम बनाने की शक्ति

15-(1) परिषद् के प्रशासन और कार्यकलाप के लिए परिषद् इस अधिनियम या एतद् अधीन बनाए गए नियमों से अनसंगत विनियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी एक मामले के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात :-

(क) परिषद् की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, ऐसी बैठकों का कार्यसंचालन करना और इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के संयोजक और सचिव के अधिकार और कर्तव्य;

(ग) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें;

(घ) इसकी बैठकों और इसकी समितियों की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य आमंत्रियों को दिया जाने वाला भत्ता;

(ङ) परिषद् की परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण

16-धारा-12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद्, अध्यक्ष, संयोजक या सचिव ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेंगे जैसा कि इस अधिनियम को सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाए।

## अध्याय-चार

### प्रकीर्ण

निहित होना, उपशमन और व्यावृत्ति

17-(1) परिषद् की स्थापना के दिनांक से पूर्ववर्ती परिषद् अस्तित्व में नहीं रह जाएगी और उपशमित हो जायेगी और इसकी सभी आस्तियां, दायित्व, अधिकार और बाध्यताएं परिषद् में निहित हो जायेगी।

(2) पूर्ववर्ती परिषद् के निहित होने और उपशमित होते हुए भी उक्त पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी या चालू रहने वाली कोई कार्यवाही परिषद् द्वारा किया गया या चालू रहने वाला कार्य समझा जायेगा।

(3) पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा या इसके विरुद्ध संस्थित या प्रतिवाद किये जा रहे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उपधारा (1) के अधीन निहित होने और हस्तान्तरण के सिवाय संस्थित हों या प्रतिवाद किये गये हों, को परिषद् द्वारा या इसके विरुद्ध चालू या संस्थित या प्रतिवाद किया जा सकेगा।

सम्पत्ति के निहित होने पर राज्य सरकार के निर्णय का अंतिम होना

18-जहां कोई शंका या विवाद उत्पन्न होता है कि धारा-17 के अधीन कोई सम्पत्ति या आस्ति परिषद् में निहित है या नहीं या उस धारा के अधीन कोई अधिकार दायित्व या बाध्यताएं परिषद् के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हैं या नहीं, तो ऐसी शंका या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

संरक्षण

19-किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या एतद् अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

20-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश, अपने बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

परिषद् का विघटन

21-(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों की पर्याप्त रूप से प्राप्ति हो गयी है जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन परिषद् की स्थापना की गयी थी या उसकी राय में परिषद् उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम नहीं हो पा रही है जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी थी और जिसके कारण परिषद् का विद्यमान बने रहना राज्य सरकार की राय में अनावश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद् उस दिनांक से विघटित हो जायेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये और परिषद् तद्नुसार विघटित समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से,-

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय जो परिषद् में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने वाली हैं, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल की जायेंगी।

(ख) समस्त दायित्व जो परिषद् के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-21 तक खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

आप खड़े होकर कह देते कि हम नहीं वापस ले रहे हैं। अब बहस मत करिए। आप ही सब नियम कानून नहीं जानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन है इसलिए सभी सूचनाओं को यदि वह नियमानुसार हैं, स्वीकार किया जाता है।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

**वाराणसी नगर में जल उपभोक्ताओं का बकाया जल-कर से अधिभार समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

[15 वर्ष पूर्व जलकर वृद्धि का विरोध करते हुए वाराणसी की जनता द्वारा बड़े पैमाने पर आन्दोलन किया गया था। विरोधस्वरूप आम जनता ने जलकर का भुगतान भी रोक दिया था, जो आज तक बकाया चला आ रहा है। परिणामस्वरूप वर्तमान समय में जलकर अधिभार भी काफी बढ़ गया है। फलस्वरूप 50 करोड़ से ज्यादा जलकर बकाया हो गया है। जिसमें एक बड़ी रकम अधिभार का भी जुड़ा है।

जलकर का भारी रकम बकाया होने के कारण धन के अभाव में जल आपूर्ति से सम्बन्धित विकास कार्य अवरुद्ध है। जल आपूर्ति में सुधार के लिए बकाया जलकर का भुगतान निश्चित रूप से सहायक होगा।

बकाया भुगतान हेतु जनता को आकर्षित करने के लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सभी बैंक, बिजली विभाग ने समय-समय पर एक मुश्त भुगतान पर अधिभार माफ करने अथवा बकाया पर दण्ड ब्याज माफ करने जैसी आकर्षक योजनाएं लागू कर अच्छी वसूली करती है। इससे जनता आकर्षित होकर एक मुश्त रकम जमा कर देती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जलकर के बकाया वसूली हेतु जनता को आकर्षित करने के लिये बकाया जलकर से अधिभार समाप्त करने के लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करता हूं। जिससे कि जनता आकर्षित होकर बकाया जलकर जमा करें व जल संस्थान वाराणसी प्राप्त धन से जलापूर्ति सुधार हेतु व्यापक व्यवस्था कर सके।]

**बहराइच के कैसरगंज क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि (वर्ष 2004-05) में लम्बित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[बहराइच जनपद में पूर्वांचल विकास निधि (वर्ष 2004-05) में प्रस्तावित सांसद व विधायकगण द्वारा अनेक योजनाएं अब तक दो वर्ष पूर्ण होने पर भी प्रारम्भ नहीं हुई है जिसमें विधान सभा कैसरगंज में प्रस्तावित आठ काम जिनमें महत्वपूर्ण मार्गों पर पड़ी आर0 सी0 सी0 पुलिया, खड़न्जा तथा अन्य काम लगभग 35 लाख तथा विधान सभा इकौना विधान सभा बहराइच एवं विधान सभा चरदा के कई काम प्रारम्भ नहीं हुए हैं इसी प्रकार सांसद कैसरगंज के प्रस्ताव के कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

जनपद में अधिकांश विकास के कार्य प्रारम्भ नहीं हुए है और बार-बार लिखने व कहने से विकास कार्य की अनदेखी करना चिन्तनीय विषय है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त लम्बित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत मूल जनपदों में तैनात चिकित्साधिकारियों के गम्भीर घोटालों से सम्बन्धित होने के बावजूद उसी जिले में तैनात कर शासनादेश का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री महेश त्रिवेदी-

[मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गयी है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को उनके मूल जनपद में नहीं तैनात किया जायेगा। किन्तु अनेकों जनपदों में उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को उनके मूल जनपद में ही तैनात किया जा रहा है। जिससे सरकारी धन की लूट एवं भाई-भतीजावाद को प्राश्रय मिल रहा है।

जनपद कानपुर नगर एवं देहात सम्प्रति एक ही क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के अधीन संचालित है। इस जनपद में डा0 जितेन्द्र नाथ वर्मा जो कि कानपुर देहात के मूल निवासी हैं, को कानपुर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर तैनात किया जा रहा है। श्री वर्मा आयुर्वेदिक घोटाला काण्ड में मुख्य सहभागी थे इनके द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती उर्मिला वर्मा के नाम आयुर्वेदिक फार्मेसी (नार्थ इण्डिया फार्मासियूटिकल 128/17, डी0 ब्लाक, किदवई नगर कानपुर) का संचालन कर अधोमानक एवं घटिया व शार्ट सप्लाई के कारण फर्म को सी0बी0आई0 के द्वारा ब्लैक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिस्टेड किया जा चुका है, यह आवासीय चिकित्सालय में तैनात रहते हुये अनियमित तरीके से आवास भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जो कि अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इसके पूर्व इनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर कानपुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का चार्ज प्राप्त किया था जिसके शासन में प्रकाश में आने के उपरान्त इन्हें प्रशासनिक आधार पर हटा दिया गया था। पुनः निदेशालय के कतिपय अधिकारियों से मिलकर एवं सांठ-गांठ कर कानपुर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर अपनी तैनाती करा ली है। विभाग में इस प्रकार की नियुक्तियों से उसकी छवि पर गम्भीर प्रभाव पड़ने के कारण शासनादेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए डा0 वर्मा की नियुक्ति को निरस्त करने के साथ ही इस प्रकार के प्रदेश में अवैध नियुक्तियों को समाप्त करने की मांग करता हूं।]

**सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम हेत भारती-

[ मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के इमलिया सुल्तानपुर में 33/11 के0वी0 का नया विद्युत उपकेन्द्र बनाना प्रस्तावित है जिसका प्रस्ताव उप मण्डलीय अभियन्ता सीतापुर द्वारा सी0 एम0 डी0 तथा शासन को 2003 में प्रेषित किया जा चुका है। इमलिया सुल्तानपुर के क्षेत्र में भवानीपुर फीडर से विद्युत सप्लाई की जाती है। जो 20/25 कि0मी0 की लम्बी लाइन होने के कारण लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ तार कटिंग की घटनाओं से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय नलकूप तथा निजी नजकूप नहीं चल पाते हैं जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा इमलिया सुल्तानपुर ब्लाक मुख्यालय होने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा थाना भी है यदि इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित 33/11 के0वी0 का नया विद्युत उप केन्द्र बन जाये तो क्षेत्रीय जनता व किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।

अतएव शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित विद्युत उप केन्द्र का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

**गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताजपुर दलित बस्ती में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री कालीचरन राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताजपुर ग्राम पड़ती है। जिसमें अधिक संख्या में (अनुसूचित जाति) के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मैंने इस गांव की दलित बस्ती का विद्युतीकरण कराने सम्बन्धित प्रस्ताव सन् 2004-05 में दिया है। लेकिन आज तक इस गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। जिससे जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए चर्चा कराने तथा ग्राम ताजपुर को दलित बस्ती का विद्युतीकरण कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में डी0 आर0 डी0 ए0 के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर स्टे वैकेट कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकीलुर्रहमान खान-

[प्रदेश में डी0 आर0 डी0 ए0 के कर्मचारियों तथा सीधी भर्ती के अधिकारियों की सेवा नियमावली मा0 उच्च न्यायालय में पांच वर्षों से अभी तक दाखिल नहीं की गयी है। फलस्वरूप प्रदेश के समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की हठधर्मी उद्दण्डता चरम सीमा पर पहुंच गई है। क्योंकि शासन चाहकर भी इन कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं कर सकता है। जबकि शासन पांच वर्ष से मा0 उच्च न्यायालय में सेवा नियमावली दाखिल नहीं कर सका यह भी उल्लेखनीय है कि डी0 आर0 डी0 ए0 कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली वर्ष 1992 में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0 प्र0 श्री के0 आर0 भाटी द्वारा जारी की गई थी। किन्तु उसके अनुसार क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सेवा नियमावली को मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल स्टे को वैकेट कराने की मांग करता हूं।]

बांदा नगर में केन नदी रेलवे ओवरब्रिज चुंगी चौकी से जरेली कोठी के पीछे झील का पुरवा होते हुए शुकुन कुंआ तक बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[ जनपद-बांदा के चित्रकूट धाम मण्डल मुख्यालय है उसकी आबादी करीब डेढ़ पौने दो लाख के करीब है वहां पर मण्डल, जिला तहसील, स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व, विकास के सैकड़ों कार्यालय व मुख्यालय व मुख्य बाजार भी स्थित होने के कारण हर समय भीड़ मौजूद रहती है बांदा नगर की आबादी से झांसी, मिर्जापुर नेशनल हाइवे, बहराइच टैरहाइवे तथा बबेरू, नरैनी, ओरन, विसंडा के लिए जिला स्तरीय सम्पर्क मार्ग गुजरते हैं उपरोक्त सड़कें बांदा नगर की आबादी से होकर वाहन तीव्र गति से बाहर गुजरने के कारण हर समय नगर वासियों के जान-माल का खतरा बना रहता है तथा कई जानें हर साल चली जाती हैं और नगर से वाहनों के गुजरने में कई-कई घंटे विलम्ब तक जाम लगा रहता है उक्त समस्या का निदान बांदा नगर में बाईपास बनाकर किया जा सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बांदा नगर में केन नदी रेलवे ओवरब्रिज चुंगी चौकी से नरैनी कोठी के पीछे से झील के पुरवा होते हुए शुकुन कुंआ तक बाई पास बनवाने हेतु सरकार से बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**लखनऊ के मोहल्ला मोतीनगर में सड़क को पक्की बनवाने सीवर लाइन डालने एवं नालियों का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विवेक बंसल-

[ विगत कई वर्षों से निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्कूल कैम्पस में कापी, किताबों, बैग, स्टेशनरी आदि के अवैध काउण्टर्स लगा कर धड़ल्ले से उनकी बिक्री की जा रही है जिससे एक ओर तो शासन को लाखों रुपये की बिक्री-कर की हानि हो रही है, वहीं दूसरी ओर मनमाने ढंग से कापी, किताबों एवं स्टेशनरी आदि के उचित दाम से कई गुनी अधिक दर पर बेचे जाने से अभिभावकों को तथा छात्रों को इनके शोषण का शिकार भी बनना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सभी दूकानें पंजीकृत भी नहीं होती हैं। शासन द्वारा विगत कई दिनों इन अवैध काउन्टर्स को प्रतिबन्धित करने हेतु एक शासनादेश भी जारी किया गया है परन्तु उसके बाजजूद भी विद्यालयों में नव सत्र के आरम्भ होने तथा उसके पूर्व ही से काउन्टर्स की स्थापना कर दी गयी है और छात्रों तथा अभिभावकों को निर्देश भी दिये गये हैं कि वे भविष्य में कापी किताबों आदि का क्रय स्कूल के बाहर की दुकानों आदि से न करके स्कूल/कालेज में लगे हुये काउन्टर्स से करें। बाहर से क्रय की गयी किताबें/कापियां मान्य नहीं होंगी।

मैं उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रश्नगत मामले में ठोस रणनीति अपनाते हुये कालेज प्रशासन के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें। यदि इस मामले में कुछ सहयोग पुस्तक व्यापार मण्डल का अपेक्षित हो तो वे इसके लिये सदैव तत्पर रहेंगे। ]

**लखीमपुर में पैला क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राजेश कुमार-

[ मेरे विधान सभा क्षेत्र 53 पैला जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ब्लाक बेहजम के अन्तर्गत कस्ता मार्ग से ऊचीपार व लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से जनता इन्टर कालेज नीमगांव के मध्य लखनियांपुर व प्रापर नीमगांव में सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। उक्त मार्ग पर विकास खण्ड बेहजम थाना नीमगांव, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, जनता इन्टर कालेज व विद्यालयों एवं प्रमुख बाजार नीमगांव व बेहजम बाजार होने के साथ ही साथ मुख्यालय जाने के लिये क्षेत्रीय लोगों का एक मुख्य मार्ग होने के कारण ये अत्यधिक व्यस्त होने से तथा उक्त मार्ग का उच्चीकरण न होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्ग पर पैदल चलना दुर्लभ हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता किसी भी समय आन्दोलित हो सकती है।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

**मुरादाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत एन0 एच0 -24 चौधरपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मो0 आकिल उर्फ मुन्ना मियां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 16 मुरादाबाद पश्चिम में एन0 एच0-24 चौधरपुर से शहवाजपुर 7 कि0मी0 मार्ग पड़ता है। यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। कृषकों को आने जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सीधा सम्भल से शहवाजपुर दिल्ली मार्ग डोतउर चौधरपुर एन0 एच0-24 से जोड़ता है तथा इस पर 20 से अधिक बसें चलती हैं। जिससे सरकार को टैक्स के रूप में काफी धनराशि भी अर्जित होती है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता एवं राहगीरों में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त एन0 एच0-24 मार्ग चौधर से शहवाजपुर मार्ग को तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं। ]

**नन्दगंज विद्युत उपकेन्द्र गाजीपुर में प्रस्तावित ओ0 सी0 बी0 व जौहरगंज उपकेन्द्र में सी0 टी0 लगाकर विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री बीजू पटनायक-

[मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त तात्कालिक महत्व की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नन्दगंज विद्युत उपकेन्द्र गाजीपुर से मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिससे नन्दगंज उपकेन्द्र पर ओवरलोडिंग की वजह से सिहोरी सहित 50 गांवों को विद्युत सप्ताह में कुछ घंटे ही मिल पाती है। किसान विद्युत आपूर्ति न होने से बर्बाद हो रहे हैं। नन्दगंज उपकेन्द्र पर एक ओ0 सी0 बी0 व जौहरगंज उपकेन्द्र से सी0 टी0 लगवाने हेतु विभाग द्वारा आगणन विगत एक वर्ष पूर्व से भेजा गया है किन्तु नन्दगंज उपकेन्द्र पर एक ओ0 सी0 बी0 व जौहरगंज विद्युत उपकेन्द्र पर सी0 टी0 बदले न जाने के कारण ही विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। विद्युत आपूर्ति न होने से किसानों की फसल सूख रही है आगामी समय में फसल की मड़ाई का कार्य प्रभावित होना सम्भावित है। अतः नन्दगंज विद्युत उपकेन्द्र पर प्रस्तावित ओ0 सी0 बी0 व जौहरगंज उपकेन्द्र की सी0 टी0 लग जाने से विद्युत आपूर्ति सुधर सकती है। विद्युत की आपूर्ति दो घण्टे भी ठीक से न मिलने से सिहोरी गांव सहित सैकड़ों गांवों के किसान तनाव व कुण्ठाग्रस्त हैं।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

---

नोट :- [ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया। ]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**झांसी की तहसील मऊरानीपुर के नायब तहसीलदार एवं अमीन द्वारा अवैध धन लेकर ग्राम सभा की जमीनों पर खेती कराने आदि की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री प्रागीलाल अहिरवार-

[जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर में तैनात नायब तहसीलदार फारुकी व सदर अमीन राजाराम ये लगभग 4-5 वर्ष से मऊरानीपुर तहसील में तैनात होने की वजह से तहसील के अन्तर्गत ग्रामों में ग्राम सभा की जमीन ग्राम भानपुर, खखौरा, विगुवां, गनुपुरा, खरकामाफ आदि ग्रामों सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर लोगों को बटाई पर देकर खेती करवा रहे हैं एवं तहसील में बड़े बकायेदार लोगों से वसूली न करके सालाना 5% के हिसाब से पैसा लेकर नाजायज तरीके से राजाराम अमीन व नायब तहसीलदार हिस्सा बांट करके अपना ऐश आराम करते हैं। इनका स्थानान्तरण भी कई बार हुआ लेकिन वे लोग किसी न किसी जरिये के माध्यम से अपना स्थानान्तरण रुकवा लेते हैं। इनके भ्रष्ट कारनामों के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**मेरठ नगर में 150 हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि की समतुल्य धनराशि से पाइप लाइन परिवर्तित/नई पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सभी विधायकों को वर्ष 2006-07 के लिए 150 हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु सदन में सरकार (मा0 मुख्यमंत्री जी) घोषणा की गयी है उचित एवं जनहित में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में (मेरठ) में हैण्डपम्पों की आवश्यकता नहीं रह गयी है। जबरदस्ती लगवाने से जनता के धन का दुरुपयोग है तथा बाद में हैण्डपम्प न चलने के कारण पीला, काला, फ्लोराइड युक्त पानी देते हैं जन स्वास्थ्य को खतरा बनता है। मेरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता है परन्तु पाइप लाइन पुरानी 3 इंच होने के कारण वह भी व्यास में कम हो जाने के कारण आपूर्ति बाधित होती है। उचित होगा कि उपरोक्त 150 हैण्डपम्प स्थापना हेतु जो आवश्यक धनराशि है उसे परिवर्तित करके उसकी समतुल्य राशि से पाइप लाइन परिवर्तन अथवा नई पाइप लाइन डालने की अनुमति हो जाये।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**राजकीय कालोनी बादशाहनगर लखनऊ की विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिए ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[राज्य सम्पत्ति विभाग के राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ में विद्युत व्यवस्था आये दिन खराब रहती है क्योंकि जो विद्युत लाइन अकबर नगर के ट्रान्सफार्मर से आई हुई है उस पर लोड ज्यादा होने के कारण आये दिन कोई न कोई फाल्ट होता रहता है जिससे कालोनी का ट्यूबवेल भी

---

नोट :- [ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया। ]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं चल पाता तथा अध्यासियों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। उक्त कालोनी में एक ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की सख्त आवश्यकता है। इस भीषण गर्मी में लाइट चले जाने पर कालोनी वासियों को बहुत असुविधा होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय कालोनी बादशाह नगर, लखनऊ की समस्या को देखते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

**गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में चल रहे तहसील कार्यालय में महिला अस्पताल स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम विशुन आजाद-

आपके संज्ञान में लाना है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के तहसील मुख्यालय पर नवीन तहसील के भवन का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी गति से चल रहा है वर्तमान समय में जहां पर तहसील कार्यालय चल रहा है उस भवन में पूर्व में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र चलता था, जनता की बेहद मांग है कि नवीन तहसील भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर जब तहसील का कार्य नवीन भवन में संचालित होने लगे तो पूर्व में चल रहे तहसील का कार्यालय को महिला अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जाय, जो जनहित में अच्छा होगा। महिला अस्पताल न होने से जनता में काफी आक्रोश है और जनता की हमेशा मांग रही है कि महिला अस्पताल जनहित में तहसील मुख्यालय पर स्थापित किया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए वर्तमान में चल रहे तहसील कार्यालय में महिला अस्पताल खोलने की मांग करता हूं।]

**सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्रान्तर्गत इमलिया घाट गोमती नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भगेलू राम-

[ मान्यवर, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में इमलिया घाट गोमती नदी पर पुल न होने से जनता को आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अस्तु इस लोक महत्व विषय इमलिया घाट गोमती नदी पर पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

**जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-बहदुरा एवं पिलुई घाघरा नदी के किनारे सोती पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[ जनपद बलिया के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में ग्राम बहदुरा एवं पिलुई घाघरा नदी के किनारे सोती पर पुलिया न होने से किसानों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। दियारे का एक मात्र रास्ता होने के कारण किसानों के प्रतिदिन अपना मवेशी चारा एवं ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता है पुल के अभाव में बहुत कठिनाई हो रही है।

---

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि से प्रस्ताव पर प्राक्कलन मंगवाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा घाघरा नदी के पास सोती पर बहदुरा एवं पिलुई ग्रामों के सामने पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाय।]

**जनपद-खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिकोनिया तक जाने के लिए रपटा पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[ अवगत कराना है कि जनपद-खीरी की तहसील-निघासन के ग्राम-तिकोनिया तक जाने के लिए लकड़ी का पुल बना है जो जीर्ण-शीर्ण हो चुका है हजारों लोगों को जान का खतरा बना रहता है। तत्काल रपटा पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है पुल के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासन से ग्राम तिकोनिया तक जाने के लिए रपटा पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

**सदन द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 दिनांक 18 मार्च, 2005 को एवं मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 को पारित होने के उपरान्त उनका क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप अग्रवाल द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न का आज अगले सत्र तक स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29-3-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई यह सूचना श्री संदीप अग्रवाल की है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसको आगे ले लें।

श्री अध्यक्ष-

इसे आज स्थगित करते हैं इसें अगले सत्र में ले लिया जायेगा।

**कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 मार्च, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमीता सिंह की है इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नागर साहब भी बात मान गये आप भी मान जायं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता सदन बैठे हुये हैं उनसे कहना चाहता हूं कि महिलाओं पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ है। 80-90 महिलाएं घायल हुई हैं इस मामले की जांच करवा दें व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करवा दें। मैं समय नहीं लेना चाहता।

* श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मुझे भी सुन लें। हमारे यहां नोयडा में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भारी पुलिस बल की सहायता से ग्राम रायपुर में दर्जनों मकानों को तोड़ा गया मकानों को तहस-नहस कर दिया गया जिस ग्रेटर नोयडा की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। वहां के किसानों का क्या हाल है किस प्रकार प्राधिकरण उनके साथ ज्यादती कर रहा है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जांनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी दो सूचनाएं हैं एक तो नागर साहब की दूसरी श्री प्रमोद कुमार व अन्य की है इस पर कुछ कहना चाहेंगे मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, 80-80 महिलाएं घायल हुई हैं कुछ ट्रामा सेन्टर में भर्ती हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

महिलाएं घायल हुई हैं उनके पूरे इलाज की व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

इसकी जांच करवा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सोनिया जी इस देश की नेता हैं। (व्यवधान) अब हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब सब वहां जाकर उनको घेर लें और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती थी। महिलाएं घायल हुई हैं, नहीं होनी चाहिये थीं, हमें इसका अफसोस है। लेकिन सोनिया जी को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की सबसे पहले थी। प्रमोद जी इतने धक्का-मुक्की में कोई महिला गिर जाती, किसी का कपड़ा फट जाता, किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता तो क्या होता ? हमारे सामने समस्या थी कि सोनिया जी सुरक्षित रहें और कोई उनको छू न सके। जब औरतें उन्हें घेरने लगी, धक्का-मुक्की होने लगी तो उनको हटाने की जिम्मेदारी हमारी थी। जो इस धक्का-मुक्की में घायल हुई हैं, उनके इलाज की व्यवस्था हम करेंगे और जो आर्थिक मदद होगी वह भी करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, जांच करा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वही मैं बता रहा हूं। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, हम इसकी जांच करवा लेंगे। इतनी गलत खबर नहीं देनी चाहिये। धक्का मुक्की महिलाओं की आपस में हो रही थी। लाठी चार्ज हुआ है तो हम उसको दिखवा लेंगे। लेकिन धक्का मुक्की के कारण ही घायल हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, नोएडा का भी एक प्रकरण है नागर साहब की सूचना है, उसको भी दिखवा लीजियेगा। तीसरी सूचना, श्री प्रागी लाल अहिरवार जी की जनपद झांसी में मऊरानीपुर नगर पालिका अन्तर्गत बाजपेयी तालाब की खुदाई तथा भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। चौथी सूचना, श्री अमर सिंह यादव, श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद महामाया नगर में तीन महाविद्यालयों में बी0 एड0 की परीक्षा में धांधली एवं रिश्वत लेने के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर और श्री रामहेत भारती जी की नियम-56 की सूचनाएं अस्वीकार की गई।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई। सभी 28 सूचनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। जिस सूचना पर पहले से वक्तव्य लिखा गया है उसको वक्तव्य हेतु और बाकी को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया जाता है। पहली सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की लखनऊ स्थित एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में रिक्त डाक्टरों के पदों पर की जा रही नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना, श्री जगदीश नारायण राय की जनपद लखनऊ स्थित इंदिरा नगर की राजकीय सचिवालय कालोनियों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना, श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में पानी के गम्भीर संकट को देखते हुये जल नीति की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना, श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रवेश परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये शुल्क लेने एवं अब मैरिट के आधार पर चयन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवी सूचना, श्री राम अचल राजभर की अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु विधायक निधि एवं जिला योजना से धन उपलब्ध होने के बाद भी कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठवीं सूचना, श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 2005-2006 में छात्रवृत्ति न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई है। सातवीं सूचना, श्री बीजू पटनायक की जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर की सामान्य जाति की महिला द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति के

प्रमाण-पत्र के आधार पर जमीन का बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना, श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के शामली भौराकलां एवं मेरठ कैराना मार्ग का पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया। नवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की चीनी निगम की शाहगंज एवं जौनपुर चीनी मिल की जर्जर स्थिति के कारण किसानों के गन्ने की पेराई समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के ग्राम मोहरसिंह भौटिया का अस्तित्व रामगंगा नदी के कारण समाप्त होने तथा रामगंगा के उग्र रूप को देखते हुये नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। श्री महेश त्रिवेदी, श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी के निधासन तहसील के ग्राम तिकोनिया में बने लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, श्री राम करन आर्य की जनपद लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शासनादेश के अन्तर्गत पति-पत्नी की एक साथ नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री नवाब सिंह नागर की नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेन्ट की एक मुश्त योजना "वन टाइम" को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में हैं श्री काली चरन राजभर की गाजीपुर जनपद स्थित दीवारी से सीउरी अमहट तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के श्री द्वारिका प्रसाद हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में हैं, श्री जियाउद्दीन रिजवी की बलिया स्थित सिकन्दरपुर में 132 के0 वी0 का विद्युत सब स्टेशन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री प्रागी लाल अहिरवार की झांसी जिला पंचायत राज अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद भी उनके द्वारा अवैध कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद स्थित अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के कैसरगंज स्थित ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अमर सिंह परमार की जनपद आगरा स्थित रूपवास मार्ग वाया वरिगरमा खुर्द के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राजेश कुमार पीलीभीत बस्ती मार्ग से सुआबीस एवं बांके गंज के मध्य गड्ढायुक्त सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री बाबूलाल कुशवाहा की बांदा नगर में केन नदी रेलवे ओवर ब्रिज से झील का पुरवा तक बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई स्थित खरगपुर तिराहा से बड़ा गांव तक सड़क का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री मुंशीलाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के विकास हेतु संकलित राजस्व ग्रामों में विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क, विद्युत, नाली आदि का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा श्री रंगनाथ मिश्र की सन्त रविदास नगर भदोही एवं वाराणसी जिले में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति विषयक है, इन सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

(मद संख्या-10 के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। महिलाएं वैसे भी नहीं बोलती हैं। हम बोलना चाहते हैं और आप हमको समय भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आगे फिर आयेगा तो बोलियेगा।

**उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा**

**प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा**

(मद संख्या-10 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक.....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस हो गया। पढ़ा हुआ माना जाय ? पढ़ा मान लिया गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह मेरी चर्चा है, वक्तव्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये यह 10 और 11 दोनों अगले सत्र में ले लेंगे यह निरस्त नहीं है।

**गाजियाबाद प्राधिकरण के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जनकपुरी नई दिल्ली को आवंटन एवं सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री सुखदेव राजभर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ 23-03-06 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी है :--

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भूखण्ड आवंटन में धांधली के संबंध में श्री मोहन सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, सी-2बी, 84बी, जनकपुरी नई दिल्ली ने उक्त प्राधिकरण में वैशाली योजना में भूखण्ड संख्या : 11ए/79 आवंटित कराया था तथा प्राधिकरण में समस्त धनराशि भी जमा कर दी गयी थी। श्री सिंह द्वारा प्राधिकरण में रजिस्ट्री हेतु सम्पर्क किया गया तो जानकारी मिली कि उक्त भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है। श्री सिंह द्वारा रिक्त भूखण्ड संख्या : जी0के0-4/160 इन्दिरापुरम् में आवंटन हेतु मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 08-08-05 से आदेश

दिये गये हैं परन्तु आज तक भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। श्री सिंह के द्वारा समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात् भूखण्ड न मिलने से काफी मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं तथा इनके परिवार में रोष व्याप्त है।

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों का अनुपालन कराते हुए रिक्त भूखण्ड संख्या : जी0के0-4/160 इन्दिरापुरम् के आवंटन/कब्जा दिलाने एवं रजिस्ट्री कराने की मांग की गयी है।

3-प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्यानुसार श्री मोहन सिंह को वैशाली योजना में वर्ष 1986 में भूखण्ड आरक्षित किया गया था तथा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14-07-88 के माध्यम से संशोधित भुगतान विवरण आवंटी को भेजा गया था। आवंटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-02-90 द्वारा प्रथम दो किश्तों के विरुद्ध रु0 20,000 जमा कराने का उल्लेख किया गया तथा शेष धनराशि जमा कराने हेतु तीन माह के समय की मांग की गयी थी। प्राधिकरण के पत्र दिनांक 18-09-90 द्वारा आवश्यक देयता जमा कराकर कब्जा लेने हेतु आवंटी को सूचित किया गया। तत्क्रम में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 07-11-90 व 09-12-92 द्वारा अनुस्मारक भेजे गये, परन्तु आवंटी द्वारा आवश्यक देयता जमा कराकर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया।

4-अतः दिनांक 28-12-92 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए निरस्तीकरण की सूचना आवंटी को भेज दी गयी। वर्ष 1990 से 1996 तक आवंटी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम बार पता परिवर्तन हेतु श्री विकास चौरडिया मुख्तारेआम श्री मोहन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 12-04-96 प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था। इसके बाद समस्त प्रत्यावेदन श्री सिंह के मुख्तारेआम श्री विकास चौरडिया अथवा राजेन्द्र कुमार चौरडिया द्वारा हस्ताक्षरित कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे प्राधिकरण को ज्ञात हुआ कि श्री मोहन सिंह द्वारा भूखण्ड का मुख्तारनामा दिनांक 30-05-90 को श्री विकास चौरडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार चौरडिया को कर दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 90 में सम्पत्ति का विक्रय श्री विकास चौरडिया एवं श्री राजेन्द्र कुमार चौरडिया को किया जा चुका है।

5-आवंटन बहाली के विषय में श्री जे0 पी0 सिंह, अपर निजी सचिव, रेल मंत्री, भारत सरकार का पत्र दिनांक 04-07-96 तथा श्री अशोक अर्गल, मा0 संसद सदस्य, 187, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 08-09-98 व श्री चांद कुमार, अपर सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्री, भारत सरकार का पत्र दिनांक 17-11-96 प्राधिकरण में प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में क्रमशः प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08-07-96, 26-09-96 तथा 15-04-99 द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था।

6-इस संबंध में श्री सिंह के मुख्तारेआम श्री विकास चौरडिया ने एक वाद संख्या : 617/2000 जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल किया है, जो अभी विचाराधीन है तथा मा0 जिला फोरम के समक्ष भी प्राधिकरण द्वारा श्री सिंह के मुख्तारेआम द्वारा सेवाओं में कमी के विषय में वाद दायर करने का अधिकार न होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

7-अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी : सी-2-बी, 84 बी, जनकपुरी, नई दिल्ली को आवंटित भूखण्ड संख्या : 2-ए/79, वैशाली के आवंटन में धांधली का कथन तथ्यों के विपरीत है। वर्णित परिस्थितियों में भूखण्ड का आवंटन बहाल किया जाना सम्भव नहीं है। ]

**जनपद कानपुर देहात स्थित चौधरी चरण सिंह उमरहट पम्प नहर पर कटान रोकने हेतु पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश त्रिवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा जनपद कानपुर देहात.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ में अवस्थित चौधरी चरण सिंह, उमरहट पम्प नहर पर बार-बार कटान (खांदी) रोकने हेतु 6.00 कि0मी0 नहर की लाईनिंग (भीतर से पक्का) किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत मा0 विधायक द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि चौधरी चरण सिंह उमरहट पम्प नहर की क्षमता 75 क्यूसेक है तथा यह जनपद कानपुर देहात में है जिसकी मुख्य नहर की लम्बाई 25.80 कि0मी0 है। मुख्य नहर के कि0मी0 0.40-4.50,8.40-8.90,11.00-11.50 तथा 13.00 से 13.90 कुल 6.00 कि0मी0 लम्बाई में नहर फिलिंग में है। इस वर्ष कि0मी0 13.60 पर नहर के दाहिने किनारे पर दिनांक 19-09-05 को एवं किमी0 3.18 के दाहिने किनारे पर दिनांक 15-11-05 को नहर की फिलिंग रींच में खांदी हुई है। इन खांदियों को नहर बन्द करने पश्चात् त्वरित कार्यवाही द्वारा किसी सम्भावित हानि से बचा लिया गया था, परन्तु समस्या के स्थाई निदान हेतु प्रश्नगत रींचों में लाईनिंग की आवश्यकता है। इस पर प्रारम्भिक तौर पर रु0 256.00 लाख व्यय होना अनुमानित है। उक्त लाईनिंग कार्य एवं अन्य आवश्यक यांत्रिक कार्यों को सम्मिलित करते हुये एक परियोजना धनराशि रुपया-313.75 लाख की बनाई गई है। ]

**जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेनों की सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उधैला ड्रेन, नदौली ड्रेन, कोयला ड्रेन, भानुडीह ड्रेन, रायपट्टी ड्रेन, मुगीसपुर ड्रेन, हरनाथपुर जमुपा ड्रेन, चफारा ड्रेन, मरुगनेशपुर नरेन्दा मांछा के पार महदूमपुर ड्रेन, सरोरपुर, कट् ड्रेन, मोहली ड्रेन तथा कन्जी ड्रेन की वर्षों से सफाई न होने के कारण हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न रहती है तथा इन नालों की खुदाई सफाई की मांग की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र की 18 ड्रेनों की जल वहन क्षमता पुनर्स्थापना की योजना लागत रु0 113.35 लाख उ0 प्र0 बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित है। विचारणीय सूचना से सम्बन्धित उधैला ड्रेन, कायेला ड्रेन, भानुडीह ड्रेन, चफारा ड्रेन, सरोरपुर कट् ड्रेन, मोहली ड्रेन तथा कन्जी ड्रेन की पुनर्स्थापना इस योजना में सम्मिलित है। यह योजना नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु विचाराधीन है। नाबार्ड से वित्त पोषण उपरान्त प्राथमिकता पर इन ड्रेनों की पुनर्स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अन्य ड्रेनों-नदौली ड्रेन, रायपट्टी ड्रेन, मुगीसपुर ड्रेन, हरनाथपुर जमुपा ड्रेन एवं मरुगनेशपुर नरेन्दा मांछा के पार मकदूमपुर ड्रेन का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।]

**जनपद-एटा स्थित मे0 बी0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की काला बाजारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-16 स्थगित है।

**श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम खंदवा, जिला-बलिया की अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की सहायता हेतु जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सहायता धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम खन्दवा, जिला बलिया की अग्निकाण्ड.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ से हुई क्षति के कारण सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी की आख्या पर मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त इस मामले में दिनांक 27 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा पीड़ित व्यक्ति को रु0 50,000/= (रुपया पचास हजार मात्र) की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। ]

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद जालौन में कालपी स्थित बीरबल का महल 'रंगमहल' पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च, 2006 को यह सूचना दी गई कि कालपी जनपद-जालौन बीरबल की जन्मस्थली के रूप में प्रदेश के पर्यटक मानचित्र पर है। बीरबल का महल "रंग महल" के रूप में मु0 मिर्जा मण्डी में स्थित है। इस महत्वपूर्ण महल पर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा इसके आस-पास की जमीन भू-माफियों द्वारा बेची जा रही है। नजूल प्लाट सं0-2811 तथा 2841 में नगर पालिका परिषद् की मिली-भगत से कब्जा कराया गया है तथा 2842-2843-2844 प्लाट संख्या की अवैध बिक्री की गई, जिसकी शिकायत भी दिनांक 16-01-2006 को सन्तराम यादव पुत्र बलदेव यादव द्वारा तहसील दिवस पर जिलाधिकारी से की गई। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब 30 फुट चौड़े मार्ग पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, जालौन से प्राप्त सूचना के अनुसार कस्बा कालपी मु0 मिर्जा मण्डी में "रंग महल" स्थित है। इस महत्वपूर्ण महल में श्री सन्तराम यादव, राम दास यादव पुत्रगण श्री बलदेव यादव का परिवार निवास कर रहा है जिसके आस-पास की जमीन पर उनके मकानात बने हुये हैं एवं "रंग महल" के सामने स्थित भू-खण्ड सं0-2858 व 2860 नजूल भूमि है, जो वर्तमान में रिक्त भूमि के रूप में विद्यमान है। पालिका खसरा बन्दोबस्त 1902-03 के मुताबिक भू-खण्ड सं0-2858 एवं 2860 परती दर्ज है, जिसका उपभोग अस्थायी रूप से उपरोक्त भू-खण्ड के जुज भाग पर श्री राम दास एवं सन्तराम पुत्रगण श्री बलदेव यादव एवं उनके परिवार के लोग रह रहे हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा "रंग महल" का रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है बल्कि उपरोक्त "रंग महल" जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। नजूल भू-खण्ड सं0-2811 पर श्री इम्तयाज ठेकेदार का रकबा 170.63 वर्ग मी0 भूमि पर नजूल सर्वे रजिस्टर 1992 में अवैध कब्जा अंकित है। शेष उक्त प्लाट की भूमि 132.90 वर्ग मी0 रिक्त अंकित है। भू-खण्ड सं0-2842, 2843 एवं 2844 के जुज भाग का रकबा 26x25=650 वर्ग फुट का पंजीकृत विलेख द्वारा बैनामा श्री फकीरे उर्फ फकीर मुहम्मद द्वारा किया गया है। उक्त तीनों भू-खण्ड नजूल नहीं है। बैनामा में अंकित चौहद्दी के दक्षिण दिशा में

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रास्ता अंकित किया गया है, जो मौके पर खाली है। भू-खण्ड सं0-2841 रकबा 20.24 वर्ग मी0 नजूल सर्वे रजिस्टर 1992 में खाली अंकित है। उक्त भूमि नजूल की भूमि है, जो मौके पर खाली है। ]

**जनपद अलीगढ़ के महाविद्यालयों में बी0 एड0 के दाखिले में लाखों रुपये की अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ अवगत कराया गया है कि श्री कृष्ण योगीराज महाविद्यालय, रतिभानपुर, राधा रानी महाविद्यालय, जुलापुर, हाथरस एवं राधा गोविन्द महाविद्यालय, हीरापुर गोपी, अलीगढ़ में फर्जी मानक दिखाकर डिग्री कालेजों एवं बी0 एड0 की मान्यता लेकर बी0 एड0 में दाखिले के नाम पर एक लाख से डेढ़ लाख रुपये प्रति छात्र लेकर पिछले कई वर्षों से उक्त महाविद्यालयों में बी0 एड0 के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है इसमें आश्चर्य की बात यह है कि महाविद्यालय का भवन मात्र श्री कृष्ण योगीराज महाविद्यालय, रतिभानपुर, सिकन्दराराऊ, महामायानगर में तो महाविद्यालय का भवन है। राधा रानी महाविद्यालय, जुलापुर, हाथरस एवं राधा गोविन्द महाविद्यालय, हीरापुर गोपी, अलीगढ़ इन दोनों महाविद्यालयों में मात्र दो-दो कमरे हैं और उक्त दोनों महाविद्यालयों में कभी कोई छात्र या अध्यापक पढ़ते या पढ़ाते हुए नहीं देखा गया है। उक्त तीनों महाविद्यालयों की छात्र संख्या की सूची फर्जी है तथा उक्त तीनों महाविद्यालयों में दर्शाये गये अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी भी फर्जी एवं मानक के अनुसार नहीं रखे गये है।। उक्त तीनों महाविद्यालयों के प्रबन्धक श्री युवराज सिंह यादव अपने आपको बताते हैं। यहां यह भी आश्चर्य की बात है कि उक्त तीनों महाविद्यालयों की मान्यता के लिए सिक्योरिटी एवं जमीनों के अभिलेख तीनों महाविद्यालयों के एक हैं तथा फर्जी हैं। यह तीनों महाविद्यालय मात्र ठेके पर बी0एड0 का दाखिला कराने के लिए नकल द्वारा सभी को पास कराने के लिए तीनों महाविद्यालयों में 100-100 विद्यार्थियों के लिए बी0एड0 की अनुमति ले रखी है। तीनों महाविद्यालयों के छात्रों को श्री कृष्ण योगीराज महाविद्यालय, रतिभानपुर, हाथरस में ही बी0एड0 की परीक्षा दिलायी जाती है। एक भी अध्यापक मानक के अनुसार नहीं रखा गया है। प्रबन्ध कमेटी के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत बी0एड0 के कोटे के छात्रों से मुंह मांगी रिश्वत लेकर अनैतिक और अवैध शिक्षा के नाम पर धन्धा करके करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष श्री युवराज सिंह द्वारा लिया जा रहा है। इस गोरखधन्धे में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, श्री डी0 के0 सिन्हा व विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। श्री डी0 के0 सिन्हा व युवराज सिंह यादव व उनके भाई बी0एड0 में दाखिला करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं तथा शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषयक को बदनाम कर रहे हैं। अतः इस अति लोक

महत्व के समस्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में दिनांक 27 मार्च, 2006 को यह सूचना दी गयी कि बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले एवं राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित/स्ववित्त पोषित विद्यालयों की निरीक्षण/जांच के आदेश समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को शासन के पत्र संख्या-4607/सत्तर-2-2004-3(19)/2004, दिनांक 04 जनवरी, 2005 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की ओर से दिये गये हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा से आख्या/विवरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह उल्लेखनीय है कि उपरिसंदर्भित शासन के पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 में प्राप्त शक्ति के अधीन स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की जांच/निरीक्षण मण्डलायुक्त द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति जिसके एक सदस्य मण्डलायुक्त द्वारा नामित अपर आयुक्त होंगे तथा दूसरे सदस्य के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे, से कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जांच के बिन्दुओं में प्रबन्धकीय कोटा, प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश प्रक्रिया, प्रबन्धकीय कोटे में लिया गया शुल्क/डोनेशन, शिक्षकों की नियुक्ति तथा महाविद्यालय की भूमि/भवन के सम्बन्ध में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

**जनपद चित्रकूट के दो प्रमुख नहरों को हेड से 8 कि0मी0 तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

**संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-**

जनपद चित्रकूट में पैश्वनी नदी से निकली बनकट बन्धवइन डाइवर्जन.....

**श्री अध्यक्ष-**

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

**श्री मोहम्मद आजम खां-**

[ नहर पर वाल्मिकी नदी से निकली ओहन डाइवर्जन नहरों को हेड से 8 कि0मी0 तक पक्का कराने के संबंध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 27-3-06 के संबंध में अवगत कराना है कि पैश्वनी नदी से निकली बनकट बन्धवइन डाइवर्जन व वाल्मिकी नदी से निकली ओहन डाइवर्जन नहरों से प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई होती थी परन्तु

---

:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेड से 8 कि0मी0 तक फिलिंग रीच के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का कटाव हो जाता है तथा पानी आगे नहीं जा पाता है। अतः समस्या के निदान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरान्त तकनीकी रूप से समस्या के साध्य पाये जाने पर प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने, अन्यथा की स्थिति में वैकल्पिक निदान की योजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दे दिये गये हैं।

अतः प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सर्वेक्षण के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जाना सम्भव होगा।[

**शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार नलकूपों द्वारा पीने का पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

शाहजहांपुर नगर से वर्तमान में 16 नग नलकूप विद्यमान हैं जिसमें से 2 नग.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ नलकूप रिबोर योग्य है तथा दो नलकूपों का स्राव अत्यधिक कम हो गया है। जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद् क्षेत्र की वर्तमान आबादी लगभग 3,00,000 है। मानक के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से एवं 15 प्रतिशत वेस्टेज के आधार पर 46.575 एम0एल0डी0 जल की आवश्यकता है। विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के कारण नलकूपों का आठ घन्टे ही चल पाना सम्भव हो रहा है। अतः वर्तमान नलकूपों की औसत 8 घण्टे की पम्पिंग मानते हुए मात्र 12.000 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो रहा है। उपलब्ध जल की मात्रा से जो जलापूर्ति हो रही है वह लगभग 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

आदर्श जनपद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर के मोहल्ला कक्करा कलां में जलापूर्ति हेतु शासनादेश संख्या-1866/35-4-2005 दिनांक 28-10-2005 द्वारा रु0 137.38 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसमें एक अवर जलाशय (1500 कि0ली0 क्षमता का), 10 किलोमीटर वितरण प्रणाली तथा अन्य कार्यों के साथ 2 नलकूपों का प्राविधान भी किया गया है, जिसमें एक नलकूप का निर्माण कार्य 12-03-2006 को प्रारम्भ हो चुका है। सम्पूर्ण योजना का कार्य माह मार्च, 2007 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

नगर की पेयजल पुनर्गठन योजना भारत सरकार के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की जा रही है। धन आवंटन होने पर कार्य कराये जायेंगे।

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर में कुल 940 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। नगरीय क्षेत्र में अधिष्ठापित हैण्डपम्प व पेयजल व्यवस्था के रख-रखाव का कार्य नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा किया जा रहा है नगर पालिका परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर हैण्डपम्प रिबोर का कार्य जल निगम द्वारा कराया जाता है। शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् से 117 नये एवं 8 रिबोर हैण्डपम्पों हेतु ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके लिए धनराशि पी0एल0ए0 से आहरित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। धनराशि आहरित होने के पश्चात् समस्त हैण्डपम्प रिबोर करा दिया जायेगा।]

**राज्य परिवहन निगम की बस से मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वावा उक्त सूचना में यह कहा गया है कि....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

[ सर्टीफिकेट के आधार पर इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाने के लिए रेल मंत्रालय कैंसर मरीजों को तथा एक तीमारदार को 75 प्रतिशत शुल्क की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं मरीजों की बाहुल्यता के कारण यह सुविधा पर्याप्त नहीं हो पाती है। बहुत से क्षेत्रों में रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे कैंसर रोगी व्यक्ति बसों में यात्रा करते है। कैंसर का इलाज मेडिकल कालेज लखनऊ में उपलब्ध है। अतः पूरे उत्तर प्रदेश के मरीज इलाज के लिए मेडिकल कालेज लखनऊ आते हैं। कैंसर का इलाज खर्चीला होता है तथा आने जाने में किराया भी आता है। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए कई राज्यों के परिवहन मंत्रालयों ने कैंसर मरीजो की यात्रा में छूट प्रदान की है। अतः कैंसर मरीजो एवं एक तीमारदार को राज्य परिवहन निगम की बस में मुफ्त यात्रा प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी बसों में उन्हीं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है जिसके व्यय भार की प्रतिपूर्ति शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा परिवह । निगम को की जाती है। वर्तमान में परिवहन निगम तथा शासन के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत यह सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।]

**जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार की जिला कारागार में पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कारागार मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से.....

---

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ उत्पीड़ित किये जाने एवं जिला कारागार, प्रतापगढ़ के विचाराधीन बंदी अशोक कुमार की जेल अभिरक्षा के दौरान प्रताड़ना से मृत्यु एवं परिजनों को रुपये पांच लाख का मुआवजा प्रदान करने की नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य, विधान सभा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा सूचना दी गयी है।

जहां तक जिला कारागार, प्रतापगढ़ में विचाराधीन बंदी अशोक कुमार की मृत्यु का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महानिदेशक, कारागार से प्राप्त सूचना के अनुसार बंदी अशोक कुमार पासी पुत्र स्व0 दातादीन पासी, निवासी ग्राम-चोप का पुरवा, रामपुर बावली, थाना-लालगंज आयु लगभग 26 वर्ष दिनांकः 05-7-2005 को अपराध संख्या-117/05 धारा-498(ए)/396 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत कारागार में दाखिल हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार बंदी की मृत्यु दिनांक 18/19-3-2006 की रात्रि 1.30 से 2.30 के मध्य हुई। बंदी के शव का पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में "नो मार्क आफ इक्सटरनल इंजरी सीन" बताया गया है। मुत्यु का कारण ज्ञात न होने के कारण विसरा सुरक्षित रखा गया है। बंदी को कारागार में कोई प्रताड़ना नहीं दी गई है। बंदी के मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 19-3-2006 को जारी कर दिये गये हैं तथा उप जिला मजिस्ट्रेट, रानीगंज, प्रतापगढ़ को जांच अधिकारी बनाया गया है। बंदी के मृत्यु की सूचना राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दे दी गयी है। बंदियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था जेल मैनुअल में नहीं है।]

**श्री प्रमोद कुमार द्वारा विधायक निधि बढ़ाये जाने तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा उनके क्षेत्र हेतु स्वीकृत डेढ़ सौ हैण्डपम्प के स्थान पर उसके समतुल्य धन से पुरानी पाइप लाइनों की मरम्मत कराने की मांग**

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेगें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अब हम अनिश्चित काल के लिये उठ रहे हैं। दो बातें मैंने पहले भी कहीं थी और चूंकि नेता सदन यहां पर उपस्थित है मैं इसका लाभ उठाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार कर लें क्योंकि कोई ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। अब आज सत्र अनिश्चित काल के लिए उठ रहा है तो कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको स्मरण करें। मेरे ख्याल से इतना लम्बा सत्र कभी रहा नहीं है। मेरा एक अनुरोध है, आप कोई वचनबद्धता न दें, जब सदन उठने लगे तब दीजियेगा। आज श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने हमेशा कहा है विधायक निधि जितनी बढ़ेगी उतना प्रदेश का भला होगा। यह मैं अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम सब जाएं,

अप्रैल से लेकर मार्च तक हम सबको एक स्वरूप बनाना पड़ता है विकास कार्यो का। इसमें मार्गदर्शन चाहते हैं। हम धनराशि नहीं चाहते हैं हम मार्गदर्शन चाहते हैं अगले वर्ष प्रदेश में क्या योगदान दे सकते हैं ? इसलिए बता दें विधायक निधि कितनी बढ़ा रहे हैं ? उसी के अनुरूप अगले वर्ष का स्वरूप निर्धारित कर लेंगे। मैं बार-बार बहुत विनतीपूर्वक कह रहा हूं, याचना पूर्वक कह रहा हूं मेरा अपना अनुभव है जबसे विधायक निधि आई है तबसे क्षेत्रों का विकास हो आपका उद्देश्य रहा है। सबका बराबरी से विकास हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं इधर ज्यादा दी जाए उधर कम दी जाए। मैं सबकी बराबरी की बात कर कहा हूं। सच्चा समाजवादी वही होता है जो बराबरी की बात करता है। आज समाजवादी का इम्तहान है। समाजवाद का इम्तहान है अगर आप 15 मिनट नहीं जाएंगे तो विकास निधि बढ़ जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ? क्या आसमान टूट पड़ेगा। मैंने एक तो मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध किया है दूसरा विधान सभा सचिवालय कर्मियों के लिए भी मैंने कहा था। उनके पद वाली बात थी। इसकी घोषणा भी संसदीय कार्य मंत्री जी को आज ही करनी थी दो पद के लिए पत्र भी लिखकर आपके पास भेज दिया था ताकि आपको कोई असुविधा न हो। यह होता रहे लेकिन मैं आपसे चाहता हूं आप निर्देश दे दें और विधायक निधि जो एक करोड़ थी उसको बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप तो सदन के सबसे अच्छे वकील हैं। पैरवी करते हैं विधायकों की हम भी चाहते हैं कि आपकी वकालत सफल हो।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय विधायकों को जो डेढ़ सौ हैण्ड पम्प दिए गए हैं। मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प की आवश्यकता नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प के समतुल्य धन से जो मेरे क्षेत्र में पुरानी पाइप लाइन हैं उनको बदलकर नई पाइप डालने पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

देर हो गई है। आपकी लिखित सूचना आई है। आप बैठें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

हमने कहा था, सत्र चल रहा है। अब अनिश्चितकाल के लिए सदन उठ रहा है। हम महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण करवाना चाहते हैं। जब हम अगले सत्र के लिए बैठेंगे तब कहना। जहां तक समाजवादी का सवाल है, सड़कें जो मांगी, हमने दी हैं। पहले सामान उठवा लेते थे। सबके क्षेत्रों का विकास होगा इसमें किसी तरह का पक्षपात नही होगा। सब क्षेत्रों का विकास होगा, तभी उत्तम प्रदेश बनेगा। हैण्डपम्प आपने मांगे, वह दिये। जो आपने कहा, वह दिया। सच्चे समाजवादी हैं। अब तो प्रमाण-पत्र दे दो। अब भी नहीं दोगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

प्रमाण-पत्र दे देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सबको बराबर दे रहे हैं। कहीं भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं, न करेंगे। अभी सत्र बहुत जल्दी बुला रहे हैं। टैक्निकल बात है। सत्रावसान करके महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण करा दें इस परम्परा को न तोड़ा जाए, इस पर विचार किया है। 10-12 दिन के बाद सत्र बुलायेंगे, तब अपनी बात रख लेना। हम भी सोच लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शान्त रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

बजट कहां तक सीधा है तब कहना। बहुत जल्दी बैठ रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

सम्पूर्ण सदन की तरफ से कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी की इच्छा सामने आ गई एक तरह से इनका आश्वासन आ गया कि राज्यपाल के अभिभाषण में उसकी उद्घोषणा होगी, अभी आप सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसके लिये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे दें। वह राज्यपाल के अभिभाषण का अंग बन जायेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

मैं मान्यवर, एक इशारा समझना चाहता हूं कि अगर सवाया कर रहे हों तो खड़े होकर कह दीजिए और यदि आप खड़े होकर नहीं कहेंगे तो मैं समझूंगा कि डेढ़ कर रहे हैं, उसमें फिर आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आप इसे राज्यपाल के अभिभाषण में लायेंगे इसके लिये एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं।

**डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से मिले राज्यांश से अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की मांग**

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विकास की बात मुख्य मंत्री जी ने कही है और यह भी कहा है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मान्यवर, अनेकों ऐसे विधायक हैं, जिन्हें पूर्वांचल विकास निधि से राज्यांश मिला था, वह कार्य अपूर्ण है, मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप उसको पूर्ण करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जहां यह कमियां रह गई हैं, दूर करायेंगे।

**सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

अब संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब जन-गण-मन।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 29 मार्च, 2006

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 79 विधान सभा (134)-7-6-2006-813 (कम्प्यूटर)।